TOPIC- Introduction to Polity and Constitution

मूल परिभाषाएं

- राज व्यवस्था - नागरिक सरकार या संविधान का रूप और प्रक्रिया।
- शासन- किसी राज्य पर शासन करने की क्रिया / ढंग।
- संविधान- यह देश का मौलिक और गतिशील कानून है, जो सरकार की अवधारणा, चरित्र और संगठन की स्थापना करता है और संप्रभु शक्ति की सीमा और उसके अस्तित्व के तरीके को निर्धारित करता है।

राज्य के अंग

संविधानवाद –

संविधानवाद एक विचार है जो एक राज्य को सर्वाधिकारवादी होने से रोकता है यानी राज्य को अधिकारों के उल्लंघन से रोकता है और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की ओर जाता है।

संविधान	संविधानवाद
भूमि के मौलिक कानून की स्थापना करने वाला एक कानूनी दस्तावेज।	नागरिकों के कल्याण पर जोर देने वाली एक विचारधारा।
उद्देश्य	लक्ष्य प्राप्ति के साधन।
संवैधानिकता का एक घटक।	एक व्यापक अवधारणा।

संविधानवाद के घटक –

"न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन"

- श्री नरेंद्र मोदी

- संविधान सरकार के अंगों की शक्तियों का प्रावधान करता है और उनके प्रयोग की प्रक्रिया भी निर्धारित करता है।

(संविधान लेक्स रेक्स है यानी कानून राजाओं का राजा है)

(कानून का शासन और लोगों का शासन नहीं)।

- 'चेक एंड बैलेंस' का सिद्धांत: तीन अंगों और अन्य अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण दूसरों पर नियंत्रण रखते हुए।

- सरकार की अस्थायीता।
- व्यक्तियों के अधिकारों और उनकी गरिमा की रक्षा करना।

संविधानों का वर्गीकरण –

लिखित

- जिनके प्रावधानों को एकल कानूनी दस्तावेज में संहिताबद्ध किया गया है।
- उदाहरण- यूएसए, भारत।
- संविधान की सर्वोच्चता न कि संसद की।

अधिनियमित

- ❖ एक विशेष समय में एक विशेष निकाय द्वारा अस्तित्व में लाया गया संविधान।
- ❖ उदाहरण- 26 नवंबर1949 को संविधान सभा द्वारा अधिनियमित भारतीय संविधान।
- ❖ सभी लिखित संविधान अधिनियमित हैं।

कठोर

- ➢ संशोधन की प्रक्रिया कठिन है अर्थात विशेष बहुमत। उदाहरण- यूएसए

संघीय

- संघीय राज्य वह है जिसके पास केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण/विभाजन है,
- यानी दोनों को एक दूसरे के साथ समन्वय में, सत्ता के अपने आवंटित क्षेत्रों में काम करने की स्वतंत्रता है। उदाहरण- यूएसए
- दोहरी सरकार (राष्ट्रीय और क्षेत्रीय)।
- राज्य अलग हो सकते हैं यानी संघ छोड़ सकते हैं।
- कठोर संविधान।
- संविधान की सर्वोच्चता।

अलिखित

- जिनके प्रावधानों को एकल कानूनी दस्तावेज में संहिताबद्ध नहीं किया गया है।
- उदाहरण- ब्रिटेन, न्यूजीलैंड।
- संसद की सर्वोच्चता, क्योंकि संविधान संसद का निर्माण है।

विकसित

- ❖ समय के साथ धीरे-धीरे संविधान का उदय हुआ।
- ❖ उदाहरण- ब्रिटिश संविधान अलग-अलग समय पर अस्तित्व में आया और विभिन्न निकायों द्वारा अलग-अलग समय पर परिवर्तित किया गया।

लचीला

- ➢ संशोधन की प्रक्रिया आसान है अर्थात। साधारण बहुमत। उदाहरण- ब्रिटेन

एकात्मक

- एकात्मक प्रणाली में सरकार की सभी शक्तियां एक सरकार में केंद्रीकृत होती हैं जो कि केंद्र सरकार है उदाहरण- ब्रिटेन।
- एकल सरकार लेकिन केंद्र सरकार प्रांतीय सरकारों को कुछ कार्य सौंप सकती है लेकिन शक्तियों का कोई वितरण नहीं है।
- राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है।
- संविधान कठोर (फ्रांस) या लचीला (ब्रिटेन) हो सकता है।
- संविधान सर्वोच्च (फ्रांस) हो सकता है या सर्वोच्च (ब्रिटेन) नहीं हो सकता है।

भारतीय संविधान की प्रकृति

संघीय विशेषताएं

- ✓ केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन/वितरण।
- ✓ संविधान की सर्वोच्चता।
- ✓ लिखित संविधान।
- ✓ संविधान की कठोरता।
- ✓ स्वतंत्र न्यायपालिका।

भारतीय संविधान की प्रकृति

एकात्मक विशेषताएं

एकल नागरिकता।

एकल संविधान।

कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के मामलों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति (अनुच्छेद 249, 250, 252 और 253)।

(i) राष्ट्रीय हित में - अनुच्छेद-249 के तहत, यदि राज्य सभा यह घोषणा करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद को राज्य सूची में इस मामले पर कानून बनाना चाहिए तो संसद उस मामले पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाती है।इस तरह के प्रस्ताव को राज्य सभा के 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

(ii) राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान - अनुच्छेद-250, संसद को राज्य सूची के मामलों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा (अनुच्छेद 352) चल रही है।

आपातकाल के संचालन के लिए जब्त होने के बाद 6 महीने की समाप्ति पर कानून निष्क्रिय हो जाते हैं।

(iii) जब राज्य अनुरोध करता है - अनुच्छेद 252 के तहत, जब 2 या अधिक राज्यों के विधायिका ने संसद से राज्य सूची के मामले पर कानून बनाने का अनुरोध करते हुए प्रस्ताव पारित किया, तो संसद उस मामले को विनियमित करने के लिए कानून बना सकती है। नोट: इस तरह के कानून में केवल संसद द्वारा ही संशोधन या निरसन किया जा सकता है।

(iv) अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करने के लिए – अनुच्छेद 253 के तहत, संसद को अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए राज्य सूची में किसी भी मामले में पूरे या किसी भी राज्य या भारत के किसी भी हिस्से के लिए कोई कानून बनाने की शक्ति है। यह प्रावधान केंद्र सरकार को सक्षम बनाता है। अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों और प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए।

- ❖ समवर्ती सूची।
- ❖ अनुच्छेद 256 और 257 के तहत प्रशासनिक निर्देश।
- ❖ अखिल भारतीय सेवाएं।
- ❖ राज्यपाल का कार्यालय।
- ❖ एकीकृत न्यायपालिका (अदालतों की एकल प्रणाली केंद्रीय कानूनों और राज्य के कानून दोनों को लागू करती है)।
- ❖ भारतीय संविधान एकात्मक और संघीय व्यवस्था का अनूठा मिश्रण है।
- ❖ अर्ध संघीय - के.सी. व्हेयर।
- ❖ सहकारी संघवाद - ग्रानविले ऑस्टिन।
- ❖ केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के साथ संघ - आइवर जेनिंग्स।

RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams

संविधान के स्रोत

भारत सरकार अधिनियम - 1935 से

- ❑ संघीय प्रणाली
- ❑ राज्यपाल का पद
- ❑ लोक सेवा आयोग
- ❑ न्यायपालिका की संरचना
- ❑ प्रशासनिक विवरण

ब्रिटिश संविधान से

- संसदीय प्रणाली
- द्वि सदनीय प्रणाली

- उच्च सदन पर निचले सदन की श्रेष्ठता।
- राज्य प्रमुख का नाममात्र का महत्व
- राष्ट्रपति की शक्ति
- मंत्रिमंडल प्रणाली और प्रधानमंत्री का पद
- एकल नागरिकता
- रिट
- संसदीय विशेषाधिकार
- कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी
- कानून का शासन
- नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय

अमेरिकी संविधान से

- मौलिक अधिकार
- स्वतंत्र न्यायपालिका
- न्यायिक समीक्षा
- लिखित संविधान की अवधारणा
- प्रस्तावना की अवधारणा।
- राष्ट्रपति का पद।
- उपराष्ट्रपति का पद।
- सुप्रीम कोर्ट।
- राष्ट्रपति का महाभियोग।
- उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना।
- संविधान की सर्वोच्चता।

आयरलैंड के संविधान से

- राज्य के नीतियों-निर्देशक सिद्धांत।
- राष्ट्रपति और उनके निर्वाचक मंडल के चुनाव की विधि।
- राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का नामांकन।

कनाडा के संविधान से

- शक्तिशाली केंद्र के साथ संघ सह संघीय व्यवस्था।
- केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां।
- केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति।
- सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 143)

ऑस्ट्रेलिया के संविधान से

- समवर्ती सूची
- संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
- केंद्र और राज्य के बीच संबंध और व्यापार और वाणिज्य के संबंध में शक्ति का वितरण।

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY
RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RACE)

जर्मनी के वीमर संविधान से

- आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन

सोवियत (USSR) के संविधान से

- मौलिक कर्तव्य
- प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श

फ्रांसीसी संविधान

- गणराज्य संरचना
- स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श

दक्षिण अफ्रीका का संविधान

- संविधान में संशोधन की प्रक्रिया
- राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव

जापानी संविधान

शब्द "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया"।

संविधान के बारे में तथ्य

- संविधान की मूल प्रतियां न तो मुद्रित की गई थीं और न ही टाइप की गई थीं, लेकिन प्रख्यात सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा द्वारा प्रवाहित इटैलिक शैली **(flowing italic)** में हाथ से लिखी गई थीं।
- संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को नंदलाल बोस और बेहर राम मनोहर सिन्हा आदि शांतिनिकेतन के कलाकारों द्वारा विशिष्ट रूप से सजाया गया था।
- मूल प्रस्तावना को विख्यात चित्रकार बेहर राम मनोहर सिन्हा (जो जबलपुर मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे) द्वारा खूबसूरती से सजाया गया था।
- मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेख वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था और नंदलाल बोस द्वारा सजाया गया था।
  नंदलाल बोस ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भी डिजाइन किए।
- श्री एस एन मुखर्जी संविधान के मुख्य प्रारूपकार थे।
- प्रख्यात विधिवेत्ता, राजनयिक और आईसीएस सर बेनेगल नरसिंह राव **(बी.एन. राऊ)** संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे।
- हाथी को संविधान सभा की मुहर के रूप में अपनाया गया था।
- संविधान सभा की पहली बैठक 09 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल (जिसे अब संसद का सेंट्रल हॉल कहा जाता है) में हुई थी।
- भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अंग्रेजी संस्करण में 117, 369 शब्द थे। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं।
  (अब इसमें लगभग 448 लेख और 12 अनुसूचियां हैं)

- सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉ सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए, एच.वी.आर. अयंगर को सचिव और एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया।
- भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकय्या द्वारा डिजाइन किया गया था। झंडे की चौड़ाई और उसकी लंबाई का अनुपात 2:3 है। शीर्ष पर केसरिया (केसरिया) है जो बलिदान का प्रतीक है, बीच में सफेद जो शांति और सच्चाई का प्रतीक है और सबसे नीचे भारत हरा है जो राष्ट्र की समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक है। बीच में अशोक चक्र है जो धर्म चक्र को दर्शाता है; 24 तीलियों वाला एक पहिया।

  इसे सारनाथ स्थित 'लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक' से लिया गया है
- राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। यह अशोक के सारनाथ सिंह राजधानी से एक रूपांतर है। मूल में, चार शेर हैं (केवल तीन शेर दिखाई दे रहे हैं) इस अशोक स्तंभ को 8 फीट चौड़े और 6 फीट लंबे पत्थर के एक बड़े से आकार के चबूतरे पर स्थापित किया गया था जिस पर एक हाथी, एक सरपट दौड़ते हुए घोड़े, एक बैल और एक शेर को बीच-बीच में पहियों से अलग करते हुए एक फ़्रीज़ेज़ वाली मूर्तियों के साथ एक घंटी के आकार का कमल (घंटी के आकार का कमल छोड़ दिया गया है।)आरूढ़ हैं। इसे पॉलिश किए गए बलुआ पत्थर के एक ब्लॉक से उकेरा गया है,
  धर्म चक्र द्वारा ताज पहनाया गया है।

अबेकस के नीचे देवनागरी लिपि में 'सत्यमेव जयते' शब्द, अंकित हैं। इसे मुंडक उपनिषद से लिया गया है जिसका अर्थ है 'सत्य अकेले विजय',

- राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया
- राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया

<u>उद्देश्यिका</u>

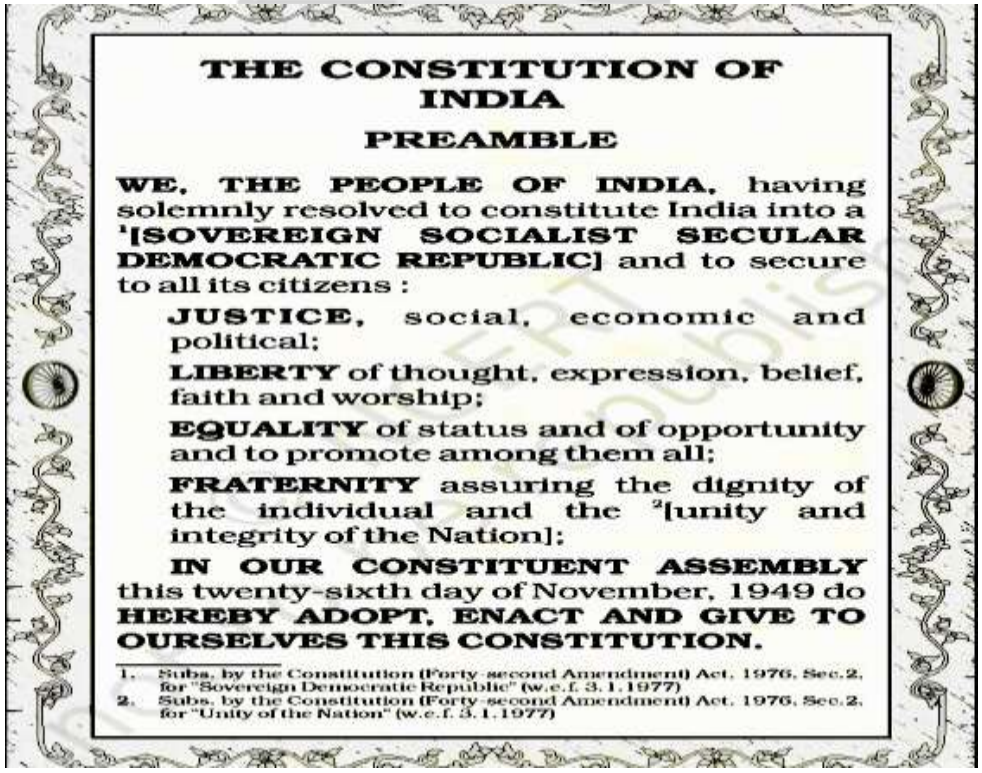

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a [1][SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC] and to secure to all its citizens :

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all;

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the [2][unity and integrity of the Nation];

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949 do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec.2, for "Sovereign Democratic Republic" (w.e.f. 3.1.1977)
2. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec.2, for "Unity of the Nation" (w.e.f. 3.1.1977)

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह 13 दिसंबर 1946 को पं .नेहरू.द्वारा पेश किए गए 'उद्देश्य संकल्प' पर आधारित है। ।
- यह संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किये जाने वाला अंतिम भाग था।
- यह पूरे संविधान का सार/सारांश है और यह हमारे संविधान निर्माताओं की मंशा को बताता है।
- भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, संविधान निर्माताओं के मन को समझने की कुंजी है।

प्रस्तावना की प्रकृति

- यह न तो शक्ति को सीमित करता है और न ही यह सरकार के तीन अंगों को वास्तविक शक्ति प्रदान करता है।
- यह संविधान के विशिष्ट प्रावधान को ओवरराइड नहीं कर सकता है। (प्रस्तावना पर प्रावधान प्रबल हैं।)
- यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है।
- इसका उपयोग संविधान के प्रावधानों की अस्पष्टता को दूर करने के लिए किया जाता है।

<u>घटक</u>

- संविधान के अधिकार का स्रोत - भारत के लोग।

- भारतीय राज्य की प्रकृति- संप्रभु, *(समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष), लोकतांत्रिक और गणराज्य।

- संविधान के उद्देश्य- न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व।

- अंगीकृत करने की तिथि - 26 नवंबर 1949

*[42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 में जोड़ा गया]

संविधान के आदर्श

संप्रभुता - यह राज्य की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जो असीमित है। इसका मतलब है कि देश बाहरी और आंतरिक दोनों तरह से सर्वोच्च है।

समाजवादी - इसका उपयोग आर्थिक नियोजन के संदर्भ में किया जाता है। इसका उद्देश्य गरीबी को दूर करना, बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना आदि आदर्शों को प्राप्त करना है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित है और साम्यवाद से अलग है।

धर्मनिरपेक्ष - इसका मतलब है कि राज्य किसी विशेष धर्म को राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है। राज्य धार्मिक रूप से तटस्थ है और विभिन्न धर्मों का सम्मान करता है।

लोकतांत्रिक - एक राज्य जो अपने नागरिकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासित होता है।

गणतंत्र - राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है और वंशानुगत नहीं होता है। राजनीतिक कार्यालय प्रत्येक नागरिक के लिए खुले हैं

आकांक्षाएं संख्या में 4 हैं

न्याय - राजनीतिक (अनुच्छेद 326), सामाजिक (अनुच्छेद 14-18) और आर्थिक।

स्वतंत्रता - व्यक्ति की स्वतंत्रता : विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना (अनुच्छेद 19, 25-28)

समानता – दर्जे और अवसर की (अनुच्छेद 15)

बंधुत्व - भाईचारे की भावना।

प्रस्तावना का महत्व

"प्रस्तावना व्यक्त करती है कि इतने लंबे समय तक हमने क्या सपना देखा था या हमने क्या सोचा था " - अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर

"हमारे संविधान का भविष्यफल" - के एम मुंशी

"यह हमारे संविधान की आत्मा है जो हमारे राजनीतिक समाज के पैटर्न को निर्धारित करती है।" - जस्टिस हिदायतुल्लाह

क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है?

"संविधान का हिस्सा नहीं है।"

- बेरुबारी यूनियन मामले (1960) में

"संविधान का अंग है। प्रस्तावना के आलोक में संविधान को पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए।" - केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य AIR 1973 SC

"यह संविधान का अभिन्न अंग है।" - एलआईसी बनाम भारत संघ AIR 1995 SC

प्रस्तावना की संशोधनीयता

ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में यह माना गया था कि चूंकि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, इसलिए इसे मूल संरचना सिद्धांत के अधीन संशोधित किया जा सकता है।

इसे 42वें सीएए 1976 द्वारा केवल एक बार संशोधित किया गया है जिसमें तीन नए शब्द जोड़े गए- धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता।

<u>अनुच्छेद 1-4 (संघ और उसके क्षेत्र)</u>

भाग I: भारत और उसका क्षेत्र (अनुच्छेद 1-4)

भारत यानि भारत राज्यों का संघ है

(संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है)।

संघ में शामिल होने के लिए राज्यों के बीच कोई सहमति नहीं थी।

राज्यों के पास अलग होने की शक्ति नहीं है।

भारत के क्षेत्र में शामिल हैं -

राज्य अमेरिका

केंद्र शासित प्रदेश

भारत द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र (उदा. गोवा, सिक्किम, पांडिचेरी आदि)

संसद कानून द्वारा नए राज्य बना सकती है, क्षेत्रों, सीमाओं को बदल सकती है या राज्यों के नाम बदल सकती है। केवल राज्यों के परामर्श की आवश्यकता है, सहमति की नहीं।

(भारत विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ है।)

इस तरह के बदलाव को संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। (संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है।)

क्या संसद की शक्ति में विदेशी देश को क्षेत्र हस्तांतरित करने की शक्ति शामिल है?

बेरुबारी केस - 1960

भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय सीमाओं के निर्धारण का कार्य सर सिरिल रैडक्लिफ को सौंपा गया था। उन्होंने भारत और पाकिस्तान में थानों का वितरण किया और ऐसे थानों की सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच अंतिम सीमा होगी।
पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में एक थाना बेरुबारी था। रैडक्लिफ ने इसे भारत को प्रदान किया। लेकिन दुर्भाग्य से पुरस्कार के लिखित पाठ में इसका उल्लेख नहीं किया गया था। इसने पूर्वी पाकिस्तान को बेरुबारी पर दावा करने का मौका दिया, इस कारण से कि बेरुबारी पूर्वी पाकिस्तान के नक्शे पर आता है।

भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच 1958 में 'नेहरू-नून' समझौते पर हस्ताक्षर होने तक विवाद जारी रहा। समझौते में बेरुबारी के क्षेत्र को भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच समान रूप से विभाजित और वितरित किया गया था।
आलोचना के बाद संघ सरकार। मामले को सुप्रीम कोर्ट में भेजने का फैसला किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद -3 (सी) ने संसद को राज्य क्षेत्र को कम करने की शक्ति दी, लेकिन अलग होने की शक्ति नहीं दी। मात्र, अनुच्छेद-3 के तहत शक्ति का प्रयोग पर्याप्त नहीं था, तो संसद को अनुच्छेद-368 के तहत एक संशोधन लाना होगा। इसलिए, व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 अधिनियमित किया गया था।

राज्यों के पुनर्गठन की पृष्ठभूमि:

1950 में, संविधान में चार प्रकार के राज्यों - भाग ए, बी, सी और डी के लिए प्रावधान किया गया था। कुल मिलाकर वे संख्या में 29 थे।
देशी रियासतों का एकीकरण एक तदर्थ व्यवस्था थी
भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए विशेष रूप से दक्षिण भारत में मांग बढ़ रही थी।
जून 1948 में, भारत सरकार ने इसकी व्यवहार्यता की समीक्षा करने के लिए एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की।
आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर पुनर्गठन की सिफारिश की, न कि भाषाई आधार पर।
इससे आक्रोश और सरकार फैल गई। प्रश्न की जांच के लिए दिसंबर 1948 में जेवीपी आयोग (जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया) को नियुक्त किया।
इसने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और भाषाई आधार पर पुनर्गठन को खारिज कर दिया।
56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी नेता पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु ने लोकप्रिय आंदोलन को जन्म दिया।
मद्रास राज्य से तेलगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके सरकार को 1953 में आंध्र राज्य के रूप में जाना जाने वाला पहला भाषाई राज्य बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

फजल अली आयोग

आंध्र के निर्माण ने अन्य क्षेत्रों से भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग को तेज कर दिया।
दिसंबर 1953 में सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया और अन्य दो सदस्य केएम पणिक्कर और एच एन कुंजरू थे।
इसने सितंबर 1955 में रिपोर्ट प्रस्तुत की।
इसने भाषा को पुनर्गठन के आधार के रूप में स्वीकार किया लेकिन 'एक राज्य एक भाषा' के सिद्धांत को खारिज कर दिया।

- इसने पुनर्गठन के लिए चार प्रमुख कारकों की पहचान की - (ए) देश की एकता और सुरक्षा का संरक्षण और मजबूती। (बी) भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता। (सी) वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक विचार। (डी) प्रत्येक राज्य के साथ-साथ पूरे राष्ट्र में लोगों के कल्याण की योजना बनाना और बढ़ावा देना।

- ❖ इसने राज्यों के चार गुना वर्गीकरण को समाप्त करने और 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण का सुझाव दिया।
- ❖ सरकार इन सिफारिशों को मामूली संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया।
- ❖ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को 1 नवंबर, 1956 को बनाया गया था।

States		Union Territories
Andhra Pradesh	Punjab	Andaman & Nicobar Islands
Assam	Rajsthan	Delhi
Bihar	Uttar Pradesh	Himachal Pradesh
Bombay	West Bengal	Laccadives, Minicoy and Amindivi islands.
Jammu & Kashmir		Manipur
Kerela		tripura
Madhya Pradesh		
Madras		
Mysore		
Orrisa		

Part II : Article 5-11 Citizenship / नागरिकता

भाग II: नागरिकता (अनुच्छेद 5-11)

- ❑ नागरिक- एक व्यक्ति जो राजनीतिक समुदाय की पूर्ण सदस्यता का आनंद लेता है अर्थात उसे संविधान और देश के अन्य कानूनों के तहत उपलब्ध सभी अधिकार प्राप्त हैं।
- ❑ कुछ अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं : अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30।
- ❑ अनुच्छेद 326 के तहत प्रदान किया गया वोट का अधिकार।
- ❑ संसद, राज्य विधानमंडल और स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने का अधिकार।
- ❑ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, महालेखपाल (सीएजी) आदि जैसे संवैधानिक पदों को धारण करने का अधिकार।

भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के तरीके

नागरिकता अधिनियम 1955 (1986, 2003, 2005 और 2015 में संशोधित) द्वारा शासित।

जन्म द्वारा - 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा हुआ व्यक्ति, चाहे वह किसी भी राष्ट्रीयता का हो।

- 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में पैदा हुआ व्यक्ति यदि उसके जन्म के समय उसके माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है।

- - 3 दिसंबर को या उसके बाद भारत में पैदा हुए व्यक्ति।

2004 यदि उसके माता-पिता दोनों भारत के नागरिक हैं या उसके माता-पिता में से कोई एक नागरिक है और दूसरा उसके जन्म के समय अवैध प्रवासी नहीं है।

वंश द्वारा - एक व्यक्ति जो भारत में पैदा नहीं हुआ, लेकिन जन्म के समय उसके माता-पिता में से एक या दोनों भारतीय थे। (26 जनवरी 1950 को या उसके बाद लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले - यदि पिता भारत के नागरिक थे।) (10 दिसंबर 1992 के बाद यदि उनके माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है।)

(03 दिसंबर 2004 के बाद, कोई भी व्यक्ति वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त नहीं करेगा।)

नए क्षेत्रों को शामिल करके।

पंजीकरण द्वारा – भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो पंजीकरण के लिये आवेदन करने से पहले सात साल से भारत में सामान्य रूप से निवासी है;

भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी भी देश या स्थान में सामान्य रूप से निवासी है;

एक व्यक्ति जो भारत के नागरिक से विवाहित है और पंजीकरण के लिये आवेदन करने से पहले सात साल से भारत में सामान्य रूप से निवासी है;

व्यक्तियों के नाबालिग बच्चे जो भारत के नागरिक हैं;

पूर्ण आयु और क्षमता का व्यक्ति जिसके माता-पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं;

प्राकृतिककरण द्वारा:- कोई भी व्यक्ति जो अवैध प्रवासी नहीं है, आवेदन कर सकता है यदि:

- किसी भी देश का नागरिक नहीं है।
- अगर वह किसी देश की नागरिकता का त्याग करता है।
- या तो भारत में रहते हैं या सरकार की सेवा में हैं। भारत के 12 महीने के लिए।
- अच्छे चरित्र का है।
- यदि वह 12 साल (आवेदन की तारीख से 12 महीने पहले और कुल मिलाकर 11 साल) के लिये भारत का निवासी है और नागरिकता अधिनियम की तीसरी अनुसूची में सभी योग्यताओं को पूरा करता है।
- आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी भाषा का पर्याप्त ज्ञान हो।
- कि वह भारत में रहने या सरकार में प्रवेश करने या सेवा जारी रखने का इरादा रखता है। भारत की।
- * विज्ञान, दर्शन, कला साहित्य, विश्व शांति या मानव प्रगति के लिए सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति या उपरोक्त सभी को सरकार किसी भी योग्यता को कम कर सकती है ।

भारत में नागरिकता छोड़ने के तरीके:

स्वैच्छिक त्याग से - पूर्ण आयु और क्षमता का कोई भी नागरिक जो त्याग की घोषणा करता है।

समाप्ति द्वारा - जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता बिना किसी अनुचित प्रभाव, दबाव या मजबूरी के प्राप्त करता है, तो नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है।

सरकार द्वारा वंचित- यह केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य समाप्ति है। यदि

(ए) धोखाधड़ी द्वारा नागरिकता हासिल की जाती है।

(बी) संविधान के प्रति वफादारी दिखाया गया है।

(सी) युद्ध के दौरान अवैध रूप से व्यापार या दुश्मन के साथ संवाद किया।

(डी) किसी भी देश में 2 साल के लिए कैद, देशीयकरण के 5 साल के भीतर।

(ई) लगातार 7 वर्षों के लिए भारत के क्षेत्र से बाहर रहना।

नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019:

संशोधन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को यह अनुमति देने का प्रस्ताव करता है - यदि वे 14 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में आये हैं, तो वे भारत में रहना जारी रखेंगे।

यह नागरिकता की योग्यता को भी 11 साल से कम कर सिर्फ 6 साल करता है ।

दो अधिसूचनाओं ने इन प्रवासियों को पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम से भी छूट दी।

असम में बड़ी संख्या में संगठनों ने संशोधन के विरोध में प्रदर्शन किया

FUNDAMENTAL Rights/ मौलिक अधिकार (Part III)

मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि –

किसी व्यक्ति के लिए एक सम्मानजनक मानवीय अस्तित्व के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक हैं।

मौलिक अधिकारों की अवधारणा की उत्पत्ति 1215 में किंग जॉन द्वारा जारी ब्रिटेन के 'मैग्ना कार्टा' मानी जा सकती है ।

- इसमें अगला महत्वपूर्ण साक्ष्य 1689 में ब्रिटिश संसद द्वारा कानून बनाया गया 'बिल ऑफ राइट्स' है।
- 1789 में फ्रांस के लोगों को मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा के तहत मौलिक अधिकार दिए गए।
- 1791 में मौलिक अधिकार प्रदान करने के लिए "बिल ऑफ राइट्स" को जोड़कर अमेरिकी संविधान में संशोधन किया गया।
- 1928 में नेहरू रिपोर्ट/स्वराज संविधान ने मौलिक अधिकारों की मांग की थी, वही मांग महात्मा गांधी द्वारा उठाई गई दूसरी गोलमेज सम्मेलन (1931) है, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे खारिज कर दिया। इस तरह गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया अधिनियम, 1935 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान नहीं दिया गया।

<u>मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण –</u>

- ❑ समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)।
- ❑ स्वातंत्र्य अधिकार (अनुच्छेद 19-22)।
- ❑ शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)।
- ❑ धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)।
- ❑ सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
- ❑ संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32)।

*[अनुच्छेद 31 को 44वें सीएए 1978 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है]

<u>मौलिक अधिकारों की प्रकृति</u>

- ❖ वे व्यक्तिगत अधिकार हैं। कुछ केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं जबकि कुछ विदेशी नागरिकों के लिए भी उपलब्ध हैं।
- ❖ वे सम्पूर्णाधिकार नहीं हैं ,युक्तियुक्त निर्बंधन के अधीन हैं। ।
- ❖ मुख्यतः अधिकार राज्य के मनमाने (अनुचित) कार्यों के खिलाफ लागू होते हैं, किन्तु अनुच्छेद 17, 23 और 24 जो व्यक्तियों और राज्य दोनों के खिलाफ लागू हैं।
- ❖ मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किसी राज्य को अधिनायकवादी होने से रोकना है।
- ❖ कई मौलिक अधिकार राज्य के नकारात्मक दायित्व हैं जिन्हें नकारात्मक शब्दों में कहा गया है।

- उदा. अनुच्छेद 14: राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
- वे प्रकृति में न्यायोचितहैं। एक व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है।
- अनुच्छेद 20 और 21 के तहत प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर अन्य अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है।
- वे स्थायी नहीं हैं। उन्हें संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है लेकिन 'मूल संरचना' को प्रभावित किए बिना

Article 12 and 13 / अनुच्छेद 12 और 13

अनुच्छेद 12 - यह 'राज्य' शब्द को परिभाषित करता है, इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल हैं -

ए) भारत सरकार और संसद।

बी) राज्य सरकार और राज्य की विधायिका।

ग) सभी स्थानीय प्राधिकरण जैसे पंचायत, नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि।

डी) अन्य सभी प्राधिकरण जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई, यानी ओएनजीसी, सेल, एलआईसी आदि।

राज्य को अपनी सभी एजेंसियों को कवर करने के लिए व्यापक अर्थों में परिभाषित किया गया है।

* माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार राज्य की ओर से काम कर रहे एक निजी निकाय या एजेंसी को भी परिभाषा में शामिल किया जाएगा।

अनुच्छेद 13 - मौलिक अधिकारों से असंगत या या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ शून्य होंगी।

(1) इस संविधान के लागू होने से ठीक पहले (26 जनवरी 1950) भारत में लागू सभी कानून जो किसी भी मौलिक अधिकारों के साथ असंगत हैं या उनका अल्पीकरण करती हैं, ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होंगी ।

ग्रहण का सिद्धांत - ऐसा कोई भी कानून पूरी तरह से मृत नहीं है बल्कि मौलिक अधिकारों से ढका हुआ है और मौलिक अधिकारों की छाया तक निष्क्रिय और ग्रहणशील रहता है।

(2) राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनता या कम करता है और ऐसा करने वाला कोई भी कानून उस हद तक शून्य होगा।

पृथक्करण का सिद्धांत –

इसका मतलब है कि, अगर कानून का केवल एक हिस्सा मौलिक अधिकार के अनुरूप है, तो केवल वह हिस्सा शून्य होगा और पूरा कानून नहीं होगा।

यह पूर्व-संवैधानिक कानूनों और संवैधानिक कानूनों के बाद दोनों पर लागू होता है।

(3) अनुच्छेद-13 में कानून शब्द का अर्थ है -

a) संसद या राज्य विधायिका द्वारा अधिनियमित स्थायी कानून (अधिनियमों के रूप में जाना जाता है)।

b) अस्थायी कानून जैसे राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश (अनुच्छेद 123) या राज्य के राज्यपालों (अनुच्छेद 213)

c) सांविधिक लिखत - जैसे प्रत्यायोजित विधान, नियम, आदेश, अधिसूचना आदि।

d) कानून के प्रभाव वाले रीति-रिवाज या उपयोग।

(4) अनुच्छेद 13 यह भी घोषित करता है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम (अनुच्छेद 368 के तहत) एक कानून नहीं है और इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है

(*24वें संवैधानिक संशोधन, 1971 में जोड़ा गया)

न्यायिक समीक्षा

("Ubi Jus Ibi Remedium" : जब अधिकार होता है, तो उपाय होता है।)

रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय (यू/आर्ट 32) और उच्च न्यायालय (यू/आर्ट 226) की शक्ति है कि वह किसी कानून को असंवैधानिक और शून्य घोषित करे यदि वह संविधान के किसी भी भाग के साथ असंगत है।
यह शक्ति न केवल विधायी कार्रवाई बल्कि कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ भी है।
यह सिद्धांत 'संविधान की सर्वोच्चता', 'न्यायपालिका की स्वतंत्रता', 'शक्तियों का विभाजन' और 'न्यूनतम सरकार के सिद्धांत' की अवधारणा में निहित है।
सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, AIR 1976 SC के अग्रणी मामले में कहा कि न्यायिक समीक्षा मूल संरचना का हिस्सा है।

Basic Structure Doctrine / मूल संरचना सिद्धांत

- इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए इस अनुच्छेद में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस संविधान के किसी भी उपबंध का परिवर्धन परिवर्तन या निरसन कर सकती है।
- विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
- इसे दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा अर्थात उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से।
- इसे राष्ट्रपति के समक्ष सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, जो अपनी सहमति देंगे।

प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 ने अनुसूची 9 (अनुच्छेद 31-बी के साथ पढ़ें) को जोड़ा जिसमें सरकार द्वारा अनिवार्य भूमि अधिग्रहण से संबंधित अधिनियम शामिल थे और उन्हें न्यायिक जांच के दायरे से बाहर रखा गया था।

शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद की संशोधन शक्ति में मौलिक अधिकारों का संशोधन शामिल है।
संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 (3) के तहत कानून नहीं है

17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1965: IX अनुसूची में और अधिनियम जोड़े गए।

सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, 1965: 17वें संविधान संशोधन को चुनौती दी। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है जो भाग III सहित संविधान के सभी प्रावधानों तक विस्तृत है।

गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967

हेनरी और विलियम गोलखनाथ के पास पंजाब में 500 **एकड़ जमीन थी।**

- पंजाब सरकार ने नौवीं अनुसूची में एक कानून रखा और केवल कुछ एकड़ जमीन छोड़कर भूमि को जब्त कर लिया। और जब्त की गई जमीनों को काश्तकारों में बांट दिया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद किसी मौलिक अधिकार को न तो छीन सकती है और न ही कम कर सकती है। - संविधान संशोधन भी कानून 13 है।
24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 - गोलखनाथ मामले को उलटने के लिए इसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था।
अनुच्छेद 13 (4) जोड़ा गया जिसके अनुसार संवैधानिक संशोधन अधिनियम (अनुच्छेद 368) एक कानून नहीं है और इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है
संसद मौलिक अधिकारों को छीन सकती है और अनुच्छेद 13 (3) की परिभाषा के तहत संविधान संशोधन कानून नहीं है।

25वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1971

- अनुच्छेद 31-C जोड़ा गया जो प्रदान करता है कि भाग IV DPSP को प्रभावी करने वाली सरकार की नीतियों को इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि वे अनुच्छेद 14 या 19 के साथ असंगत हैं।
- **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य** 1973
- भारत के इतिहास में सबसे बड़ी 13 जजों की खंडपीठ ने सुनवाई की।
- 7:6 के अनुपात से निर्णय लिया।
- गोलखनाथ मामले को खारिज कर दिया और 24वें **संविधान संशोधन** , 1971 की वैधता को बरकरार रखा।
- कहा कि संसद मूलभूत अधिकारों को हटा या कम कर सकती है लेकिन कुछ सिद्धांत अनुल्लंघनीय हैं और इसलिए इन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता है। इन सिद्धांतों को मूल संरचना कहा जाता है।
- मूल संरचना की व्याख्या न्यायालय द्वारा की जानी है।
- यह भी कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है।

मूल संरचना/आधारभूत संरचना के घटक

- संविधान की सर्वोच्चता
- संप्रभुता
- धर्मनिरपेक्षता
- शक्तियों का पृथक्करण
- संघीय प्रकृति
- एकता & अखंडता
- लोक हितकारी राज्य
- न्यायिक समीक्षा
- सरकार का संसदीय रूप।
- विधि का शासन
- समानता का सिद्धांत
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता
- मूलभूत अधिकारों और राज्य के नीति
- निदेशक तत्वों के बीच सद्भाव
- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव
- संविधान में संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति।

Article 14 right to Equality/ समता का अधिकार

अनुच्छेद 14 – विधि के समक्ष समता

राज्य किसी भी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
यह राज्य का एक नकारात्मक दायित्व है अर्थात अनुच्छेद राज्य को समानता से वंचित करने से रोकता है।

कानून के समक्ष समता - इस अवधारणा की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई थी। यह एक नकारात्मक अवधारणा है क्योंकि इसका मतलब कानून की नजर में किसी विशेषाधिकार की अनुपस्थिति है।

- सभी व्यक्ति देश के सामान्य कानून के अधीन होते हैं, जो सामान्य न्यायालयों द्वारा प्रशासित होते हैं।
- कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। (लेक्स रेक्स - कानून राजाओं का राजा है)

कानून का समान संरक्षण –

यह यूएसए से उधार लिया गया है और यह एक सकारात्मक अवधारणा है। इसका अर्थ है समान परिस्थितियों में उपचार की समानता अर्थात समानों के बीच समानता।

- बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाना चाहिए।
- समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों पर समान कानूनों का समान रूप से लागू होना।
- इसका मतलब है कि कानून को स्थितिजन्य परिवर्तनशील बनाते समय लोगों के बीच लागू किया जाएगा।

अनुच्छेद 14 वर्ग विधान का निषेध करता है लेकिन उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है –

राज्य किसी विशेष वर्ग के लोगों के लिए कोई कानून नहीं बनाएगा। वर्गों के बीच भेद की अनुमति है लेकिन समूहों या वर्ग के भीतर नहीं, इसे **बोधगम्य अंतर** के रूप में जाना जाता है।
वर्गीकरण उचित होगा अर्थात न्यायसंगत और निष्पक्ष। यह मनमाना, टालमटोल करने वाला या भेदभावपूर्ण नहीं होगा। इसे **संरक्षणात्मक विभेद** के रूप में जाना जाता है।

RULE OF Law/ विधि का शासन

Justitia – The Lady of Justice

विधि का शासन

इस अवधारणा को ब्रिटिश विधिवेत्ता ए. वी. डाइसी ने प्रतिपादित किया था।

उन्होंने विधि के शासन के तीन सिद्धांत गढ़े

- देश के सामान्य कानून के उल्लंघन और अदालत की सामान्य प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को शरीर या संपत्ति के सन्दर्भ में दंडित नहीं किया जाएगा। (कानून की सर्वोच्चता)
  - सभी व्यक्ति किसी पद या स्थिति के बिना , सामान्य कानून के और सामान्य अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं यानी विशेषाधिकार की अनुपस्थिति हैं। (कानून के समक्ष समानता।)
  - - व्यक्तियों के अधिकारों की प्रधानता जो अदालतों द्वारा परिभाषित और लागू की जाती है और संविधान इसका परिणाम होता है।
  - (संविधान देश का सामान्य कानून है।)

भारत में केवल नियम 1 और 2 लागू होते हैं, न कि तीसरा, जैसा कि भारत में संविधान भूमि का सर्वोच्च कानून है और अधिनियमित सभी कानून संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होंगे।
संविधान व्यक्ति के अधिकारों का स्रोत है।
कानून के शासन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में शामिल किया गया है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि कानून का शासन बुनियादी ढांचे का हिस्सा है।

विधि-शासन नियम के अपवाद -

कानून के समक्ष समानता का नियम निरपेक्ष नहीं है लेकिन कुछ अपवादों के अधीन है।
- भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल को निम्नलिखित छूट प्राप्त हैं (अनुच्छेद 361)
राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होते हैं।
राष्ट्रपति या राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू या जारी नहीं रखी जाएगी।
राष्ट्रपति या राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास की कोई भी प्रक्रिया उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में नहीं होगी।

कार्यकाल के दौरान कोई दीवानी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी,
चाहे उसके कार्यालय में प्रवेश करने से पहले या बाद में, उसे नोटिस दिए जाने के बाद अगले दो महीने की समाप्ति तक।
- यू/अनुच्छेद 361 ए, संसद/राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की वास्तविक रिपोर्ट के समाचार पत्र या रेडियो/टेलीविजन में प्रकाशन के संबंध में कोई भी व्यक्ति किसी भी अदालत में किसी भी नागरिक या आपराधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- यू/अनुच्छेद 105, कोई भी सांसद संसद में उनके द्वारा कही गई किसी भी बात या वोट के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

यू/अनुच्छेद 194 कोई भी विधायक विधायिका में उनके द्वारा कही गई किसी भी बात या वोट के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
अनुच्छेद 31-सी अनुच्छेद 14 का अपवाद है जो यह बताता है कि अनुच्छेद 39 (बी) और (सी) में निहित निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है।
विदेशी शासकों, राजदूतों और राजनयिकों को आपराधिक और दीवानी कार्यवाही से छूट प्राप्त है।
यूएनओ और उसकी एजेंसियों को भी राजनयिक छूट प्राप्त है।

Article 15 and 16/ अनुच्छेद 15 और 16

अनुच्छेद 15 - कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध

अनुच्छेद 15(1) राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

अनुच्छेद 15(2) : कोई भी नागरिक केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर

(ए) सार्वजनिक दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों , होटल और मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश ,या

(ख) पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, नहाने के घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग
के सम्बन्ध मैं किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा

- अनुच्छेद 15(3) : राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने की अनुमति है।

उदा. : स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण या बच्चों (6-14 वर्ष) के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान।

- अनुच्छेद 15(4) : राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिक या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने की अनुमति है।
- [प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया]

- अनुच्छेद 15(5): राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों ((अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर) में उनके प्रवेश के संबंध में कोई विशेष प्रावधान करने का अधिकार है, चाहे वह सरकारी सहायता प्राप्त हो या गैर-सहायता प्राप्त हो।

[अल्पसंख्यक: मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन]

उदा. : सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में सीटों का आरक्षण या शुल्क में रियायत।

[93 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया]

- अनुच्छेद 15(6): राज्य को किसी भी अनुच्छेद 15(6) राज्य को विशेष प्रावधान करने का अधिकार है, -

(ए) खंड (4) और (5) में उल्लिखित वर्गों के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए कोई के किसी भी विशेष प्रावधान; तथा

(ख) किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित उन्नति के लिए ऐसा विशेष प्रावधान मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त और कुल सीटों में से अधिकतम दस प्रतिशत होगा।

[103 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया]

अनुच्छेद 16 - लोक नियोजन के विषय में में अवसर की समानता

अनुच्छेद 16(1): राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुकिती अथवा नियोजन से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।

अनुच्छेद 16(2): कोई भी नागरिक केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए अपात्र नहीं होगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 16 (3): इस अनुच्छेद में कुछ भी संसद को सरकार के अधीन किसी सार्वजनिक कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के वर्ग या वर्गों के संबंध में कानून बनाने से नहीं रोकेगा। किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भीतर या किसी स्थानीय प्राधिकरण के, ऐसे रोजगार से पहले निवास के रूप में कोई आवश्यकता।

16 (4) इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगा, जो राज्य की राय में, राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

नोट - इसे कैच-अप नियम के रूप में जाना जाता है।

*[(4ए) इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगा ** [प्रोन्नति के मामलों में, किसी भी वर्ग के लिए परिणामी वरिष्ठता के साथ] या अनुसूचित के पक्ष में राज्य के अधीन सेवाओं में पदों की श्रेणियां वे जातियां और अनुसूचित जनजातियां जिनका, राज्य की राय में, राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।]

* इंस. संविधान द्वारा (सत्तर-सातवां संशोधन अधिनियम 1995)

** (पचासीवां संविधान संशोधन अधिनियम, 2001) द्वारा प्रतिस्थापित। (पूर्वव्यापी प्रभाव से 17-6-1995)।

[(4बी) इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को किसी वर्ष की किसी भी अपूर्ण रिक्तियों पर विचार करने से नहीं रोकेगा, जो उस वर्ष में भरे जाने के लिए आरक्षित हैं, जो कि खंड (4) के तहत किए गए आरक्षण के किसी प्रावधान के अनुसार हैं या

खंड (4ए) किसी भी सफल वर्ष या वर्षों में भरे जाने वाले रिक्तियों की एक अलग श्रेणी के रूप में और रिक्तियों की ऐसी श्रेणी को उस वर्ष की रिक्तियों के साथ नहीं माना जाएगा जिसमें उन्हें पचास प्रतिशत की सीमा निर्धारित करने के लिए भरा जा रहा है। सेंट। उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या पर आरक्षण।]

- (इक्यासीवां संविधान संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा जोड़ा गया)

नोट- इसे कैरी फॉरवर्ड नियम के रूप में जाना जाता है।

(5) इस अनुच्छेद में कुछ भी किसी भी कानून को प्रभावित नहीं करेगा जो प्रदान करता है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के मामलों के संबंध में किसी कार्यालय का पदाधिकारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशेष धर्म को मानने वाला व्यक्ति होगा या एक विशेष संप्रदाय से संबंधित।

*[(6) इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को खंड (4) में उल्लिखित वर्गों के लिए मौजूदा आरक्षण के अलावा किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के लिए अधिकतम दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगा।

* (एक सौ और तीसरा संविधान संशोधन अधिनियम, 2019)

भारत में आरक्षण और मंडल आयोग

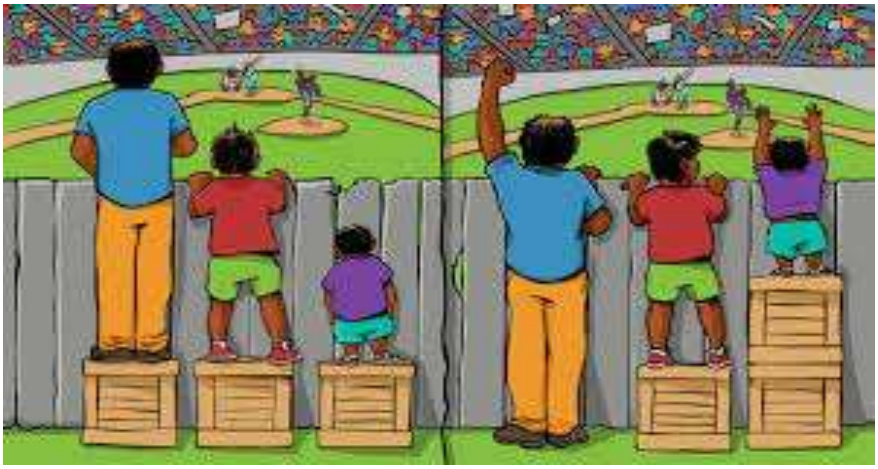

Level Playing Field /स्तरीय खेल मैदान

पृष्ठभूमि

मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन, 1951

इस मामले ने संविधान में पहले संशोधन का नेतृत्व किया।

अनुच्छेद 15 (4) (प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951) द्वारा जोड़ा गया, जो नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है।

1953 में काका साहेब कालेकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई।

1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

एमआर बालाजी और अन्य बनाम मैसूर राज्य, 1962

एक वर्ष में नौकरियों में 50% से अधिक आरक्षण नहीं।

मंडल आयोग

1979 में, जनता सरकार ने सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की पहचान करने और उनकी बेहतरी के उपाय सुझाने के लिए बी.एन. मंडल के नेतृत्व में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया।

आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

आयोग ने 3743 पिछड़ी जातियों की पहचान की, जो अनुसूचित जाति को छोड़कर 52% आबादी का गठन करती हैं

1990 में वी.पी. सिंह सरकार ने इसे लागू किया।

1991 में पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार ने दो बदलाव किए:

(ए) क्रीमी लेयर की अवधारणा यानी ओबीसी के बीच गरीब तबके को वरीयता।

(बी) उच्च वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण।

इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, 1992

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ओबीसी के पक्ष में 27% सीट तक आरक्षण संवैधानिक रूप से वैध है।

बशर्ते ओबीसी का क्रीमीलेयर वर्ग आरक्षण का हकदार न हो।

आरक्षित सीटों की कुल संख्या कुछ असाधारण स्थितियों को छोड़कर 50% से अधिक नहीं होगी।

प्रोन्नति में कोई आरक्षण नहीं बल्कि प्रारंभिक नियुक्तियों में ही।

बैक लॉग रिक्तियों के मामले में 'कैरी फॉरवर्ड' नियम मान्य है।

संसद ने 77**वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम** 1995 को अधिनियमित किया, जिसने पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में निर्णय को रद्द करने के लिए अनुच्छेद 16(4ए) पेश किया।

81**वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम** 2000 में अनुच्छेद 16(4बी) डाला गया, जिसने बैकलॉग पर शासन को रद्द कर दिया।

85**वें संविधान संशोधन अधिनियम** 2001 में पदोन्नति में आरक्षण में परिणामी वरिष्ठता का प्रावधान किया गया है।

एम. नागराज बनाम भारत संघ 2006 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 16(4ए) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए कहा था कि संवैधानिक रूप से मान्य होने के लिए ऐसी कोई भी आरक्षण नीति निम्नलिखित तीन संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करेगी:

एससी और एसटी समुदायों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा होना चाहिए।
सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
ऐसी आरक्षण नीति प्रशासन की समग्र दक्षता को प्रभावित नहीं करेगी।

2018 के जरनैल सिंह बनाम लछमी नारायण गुप्ता मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पदोन्नति में आरक्षण के लिए राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है।
न्यायालय ने कहा कि क्रीमी लेयर का बहिष्करण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तक फैला हुआ है और, इसलिए राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण नहीं दे सकता है जो उनके समुदाय के क्रीमी लेयर से संबंधित हैं।

102वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2018

1993 में संसद के अधिनियम द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।
102वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। नए अनुच्छेद 338 बी और 342 ए को जोड़ा गया।
आयोग में पांच सदस्य होते हैं जिनमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य शामिल होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है।
संशोधन अनुच्छेद 366 में भी बदलाव लाता है।
अनुच्छेद 338बी एनसीबीसी को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार प्रदान करता है।
अनुच्छेद 342 ए राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। वह संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से ऐसा कर सकता है। हालाँकि, यदि पिछड़े वर्गों की सूची में संशोधन किया जाना है तो संसद द्वारा अधिनियमित कानून की आवश्यकता होगी।

एक सौ तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019

अनुच्छेद 16 (6) इस लेख में कुछ भी राज्य को मौजूदा आरक्षण के अलावा, खंड (4) में उल्लिखित वर्गों के अलावा नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। और प्रत्येक श्रेणी में अधिकतम दस प्रतिशत पदों के अधीन।

अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का निषेध) और अनुच्छेद 18 (उपाधियों का उन्मूलन)

अनुच्छेद 17 – अस्पृश्यता का उन्मूलन

- अस्पृश्यता अंत किया जायेगा है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास प्रतिबंधित है। अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी निर्योग्यता का प्रवर्तन एक दंडनीय अपराध होगा ।
- इस अधिकार का कोई अपवाद नहीं है।

- राज्य और नागरिकों दोनों के खिलाफ प्रवर्तनीय।
    - नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है।

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इस अनुच्छेद के तहत यह अधिकार निजी व्यक्तियों के खिलाफ उपलब्ध है और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना राज्य का कर्तव्य है कि इस अधिकार का उल्लंघन न हो।

अनुच्छेद 18 – उपाधियों का उन्मूलन

क) राज्य किसी को भी, चाहे वह नागरिक हो या गैर-नागरिक, सैन्य या शैक्षणिक उपाधि के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।

b) यह भारत के नागरिक को किसी भी विदेशी राज्य से किसी भी उपाधि को स्वीकार करने से रोकता है।

ग) राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी भी पद पर आसीन कोई गैर-नागरिक राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है।

यह लेख राय साहब, दीवान, राय बहादुर, महाराजा, महाराजाधिराज आदि जैसे बड़प्पन के वंशानुगत उपाधियों पर रोक लगाता है। ये औपनिवेशिक राज्यों द्वारा प्रदान किए गए इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि ये 'स्थिति की समानता' और 'सामाजिक न्याय' के सिद्धांत के खिलाफ हैं।

राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे भारत रतन या पदम पुरस्कार 1954 में राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा शुरू किए गए थे। ये नागरिक सम्मान हैं और इसलिए इन्हें अनुच्छेद 18(1) के दायरे से बाहर रखा गया है।

बालाजी राघवन बनाम तमिलनाडु राज्य 1996

यह विरोध किया गया कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करना अनुच्छेद 18 (1) का उल्लंघन करता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राष्ट्रीय पुरस्कार समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करते हैं।

समानता का सिद्धांत यह अनिवार्य नहीं करता है कि योग्यता को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए।

ये पुरस्कार उपाधि नहीं हैं क्योंकि पुरस्कार विजेता से उन्हें उपाधि के रूप में उपयोग करने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

अनुच्छेद 19 - वाक् स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण

अनुच्छेद - स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद 19 (1)(अ) - वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।

वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार के रूप में उभरी है।

न्यायपालिका द्वारा उदार व्याख्या देकर इसका दायरा बढ़ाया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक अविभाज्य अंग माना।

इसमें मौखिक लेखन, मुद्रण, चित्र या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से विचार, राय, विश्वास और दृढ़ विश्वास व्यक्त करने का अधिकार शामिल है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि **वाक्** और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित शामिल हैं

(i) प्रेस की स्वतंत्रता।

- सकल पेपर बनाम भारत संघ, 1962

प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अनुच्छेद 19 (1) (अ) में प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है।

(ii) वाणिज्यिक विज्ञापन की स्वतंत्रता।

- टाटा प्रेस बनाम एमटीएनएल 1995

विज्ञापन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक रूप है।

(iii) टेलीफोनिक वार्तालाप को टेप करने के विरुद्ध अधिकार।

(iv) सरकार के बारे में जानने का अधिकार। गतिविधियां।

यह अधिकार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रकट हुआ है।

(v) मौन की स्वतंत्रता।

(vi) प्रदर्शन का अधिकार लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं।

(vii) राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार।

- नवीन जिंदल बनाम भारत संघ, 2005

भवन के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना भी इसी अधिकार में शामिल है। हालांकि उचित सम्मान दिखाया जाएगा।

अनुच्छेद 19(2): राज्य वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के उपभोग पर केवल नीचे उल्लिखित आधार पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है:

राज्य की संप्रभुता और अखंडता
एक विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध।
सार्वजनिक व्यवस्था
शिष्टता
नैतिकता
न्यायालय की अवमानना
मानहानि (आईपीसी की धारा 499)
किसी अपराध के लिए उकसाना

भाषण से संबंधित कुछ अपराध

धारा 124-क : राजद्रोह

धारा 153-ए : धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास भाषा आदि के आधार पर विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना।

धारा 298 - धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के इरादे से शब्द आदि बोलना।

धारा 506 - आपराधिक अभित्रास (धमकी)

धारा 509 - किसी महिला की लज्जा का अपमान करने के इरादे से शब्द, इशारा या कार्य।

अनुच्छेद 19 (1)**(बी)** – शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार।

इसमें सार्वजनिक बैठकें, प्रदर्शन और जुलूस निकालने का अधिकार शामिल है।

स्वतंत्रता का प्रयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर किया जा सकता है और सभा शांतिपूर्ण और निहत्थे होगी। इसमें हड़ताल और बंद का अधिकार शामिल नहीं है।

19 (3) - प्रतिबंध: राज्य की संप्रभुता और अखंडता, या सार्वजनिक व्यवस्था।

धारा 144 Cr.P.C (1973): एक मजिस्ट्रेट एक सभा, बैठक, जुलूस या प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि मानव जीवन, संपत्ति, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए बाधा, झुंझलाहट या खतरे की आशंका हो या जनता के लिए खतरा हो शांति।

IPC (1860) की धारा 141 एक गैरकानूनी असेंबली को परिभाषित करती है - 5 या अधिक व्यक्तियों की एक असेंबली एक गैरकानूनी असेंबली है यदि उद्देश्य गैरकानूनी है यानी

(ए) एक अवैध कार्य करने के लिए

(बी) अवैध / गैरकानूनी तरीकों से एक कानूनी कार्य

(सी) कोई शरारत या अतिचार करने के लिए

(डी) किसी व्यक्ति को गैरकानूनी कार्य करने के लिए मजबूर करना।

(ङ) सरकार या उसके अधिकारियों को उनके कार्यों के निर्वहन में धमकाना।

रंगनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य, 2003

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सिविल सेवकों को हड़ताल पर जाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उन्हें अपनी शिकायतों के निवारण के लिए अन्य उपाय करने चाहिए

सीपीआई (एम) बनाम भारत कुमार पालिचा और अन्य 1998

बंद करने का अधिकार नहीं है। यह अवैध है क्योंकि इसमें जबरदस्ती का तत्व है। यह सामान्य जीवन में अशांति पैदा करता है।

अनुच्छेद 19 (1)(सी) - संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार।

अनुच्छेद 19 (4) - प्रतिबंध: राज्य की संप्रभुता और अखंडता, या सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता।

अनुच्छेद 19 (1)(डी) - भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने का अधिकार।

अनुच्छेद 19 (1)(ई) - भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार।

अनुच्छेद 19 (5) – उप खंड (डी) और (ई) पर प्रतिबंध:
आम जनता का हित या अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण।

19 (1)(जी) - किसी भी पेशे को अपनाने या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को करने का अधिकार।

अनुच्छेद 19 (6) - प्रतिबंध: आम जनता के हित और प्रदान करने वाला कोई कानून

(ए) किसी पेशे का अभ्यास करने या किसी व्यापार या व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक पेशेवर या तकनीकी योग्यताएं।

(बी) नागरिकों का पूर्ण या आंशिक बहिष्कार या अन्यथा।

सजा के संबंध में संरक्षण

अनुच्छेद 20 – दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

अनुच्छेद - 20 किसी अभियुक्त व्यक्ति को चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कंपनी या निगम जैसा कानूनी व्यक्ति, मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें उस दिशा में तीन प्रावधान हैं।

क) **कोई कार्योत्तर कानून नहीं** - किसी भी व्यक्ति को अपराध के रूप में आरोपित तथ्य के आयोग के समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा।

कार्योत्तर कानून वह है जिसका **पूर्वव्यापी प्रभाव** हो। इस प्रावधान द्वारा इस तरह के प्रभाव को प्रतिबंधित किया गया है। यह सीमा केवल आपराधिक कानूनों पर है, सिविल/कराधान कानूनों पर नहीं।

भूतपूर्व। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पूर्वव्यापी प्रभाव से अधिनियमित किया गया था।

ख) दोहरे खतरे से सुरक्षा - किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा।

यह प्रतिरक्षा विभागीय या प्रशासनिक कार्यों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है क्योंकि वे प्रकृति में न्यायिक नहीं हैं।

सिविल सेवा आचरण नियम कहते हैं कि यदि किसी सिविल सेवक को आपराधिक आधार पर दंडित/बर्खास्त किया जाता है तो विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
यह सुरक्षा निवारक निरोध या किसी व्यक्ति से सुरक्षा की मांग करने पर लागू नहीं होती है।

ग) आत्म दोषारोपण से सुरक्षा - किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को आपराधिक कार्यवाही में खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।
स्पष्टीकरण: आत्म-अपराध के विरुद्ध संरक्षण मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों तक विस्तृत है। हालाँकि, इसका विस्तार नहीं होता है
(ए) दस्तावेजों का अनिवार्य उत्पादन।
(बी) वह अंगूठे का निशान, नमूना हस्ताक्षर, रक्त के नमूने आदि देने से इनकार नहीं कर सकता है।
(सी) शरीर की अनिवार्य प्रदर्शनी।

जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद 21 - प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
अनुच्छेद 21 - कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।
यह अधिकार नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है।
जैसा कि भारत में सरकार के संवैधानिक स्वरूप का विकास जारी है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उदार व्याख्या के कारण अनुच्छेद 21 में सबसे बड़ा बदलाव आया है।
खड़क सिंह बनाम यूपी राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, "अनुच्छेद 21 न केवल जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, बल्कि एक गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार की गारंटी देता है"
अनुच्छेद 21 के बिना अन्य सभी अधिकार अर्थहीन होंगे।
यहां तक कि अगर अन्य मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे, तो अनुच्छेद 21 की उदार व्याख्या से ऐसे अधिकार निहित होंगे।
यह अनुच्छेद 21 है जो एक पुलिस राज्य और एक संवैधानिक राज्य के बीच अंतर करता है।
यह अनुच्छेद 21 है अर्थात भाग III की रीढ़ है।
इसका उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
अनुच्छेद 21 एक समग्र अधिकार है और इसने बड़ी संख्या में अधिकारों को जन्म दिया है।
अनुच्छेद 21 में शामिल है -
a.) स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। (एम सी मेहता बनाम भारत संघ)
बी।) सोने का अधिकार (रे रामलीला मैदान बनाम गृह सचिव, भारत संघ)
ग.) आजीविका का अधिकार।
घ.) त्वरित सुनवाई का अधिकार।
ई.) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार
(विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997)
च.) शिक्षा का अधिकार।
जी।) विदेश जाने का अधिकार (मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978)
ज.) निजता का अधिकार।

विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया

ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, 1950

सर्वोच्च न्यायालय ने 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' शब्द की संकीर्ण व्याख्या की।
यह माना गया कि संरक्षण केवल मनमाने ढंग से कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध है, न कि विधायी कार्यों के खिलाफ।
यह माना गया कि अनुच्छेद 21 व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है और यदि किसी कानून का उल्लंघन नहीं करता है तो उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। सजा 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के अनुसार की जाएगी।

मेनका गांधी बनाम भारत संघ, 1978

इसने पहले के फैसले को खारिज कर दिया और स्वतंत्रता की व्यापक संभव व्याख्या की।
यह भी माना गया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ केवल शरीर या व्यक्ति से संबंधित स्वतंत्रता नहीं है।
अनुच्छेद 21 में विदेश जाने का अधिकार शामिल है।
संरक्षण न केवल कार्यकारी कार्रवाई बल्कि विधायी कार्रवाई के खिलाफ भी उपलब्ध होगा।
नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है।
व्यक्ति को उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित करने वाला कानून न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित होगा और दमनकारी, जबरदस्ती या मनमाना नहीं होगा।
इस प्रकार अनुच्छेद 21 में 'कानून की उचित प्रक्रिया' भी शामिल है
यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर अनन्य नहीं हैं क्योंकि वे संयुक्त रूप से तर्कसंगतता और निष्पक्षता का लक्ष्य रखते हैं। (स्वर्ण त्रिकोण)।

विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया- यह एक ब्रिटिश अवधारणा है। किसी प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले कानून की वैधता पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है कि यह अनुचित, अन्यायपूर्ण, अनुचित है।
अदालत केवल विधायी क्षमता के बिंदु पर कानून की जांच करेगी और कानून के मकसद के पीछे नहीं जाएगी।
कानून की उचित प्रक्रिया - यह एक अमेरिकी अवधारणा है। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को वंचित करने के लिए कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया न्यायोचित, निष्पक्ष और उचित होगी। इसका मतलब है कि एक अदालत न केवल विधायी क्षमता के दृष्टिकोण से एक कानून की जांच करेगी बल्कि इस बिंदु से भी कि कानून का इरादा सद्भावपूर्ण है या गलत है।
नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को लागू किया जाएगा।

प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत

Audi Altrum Partem - प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को अनसुना करने के लिए दंडित नहीं किया जाएगा।
Nemo Dat Causa Sua - कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं होगा।
पूर्वाग्रह के खिलाफ नियम - एक प्राधिकरण बिना किसी पूर्वाग्रह के सदाशयी कार्य करेगा।

अनुच्छेद 21 के अपवाद

मौत की सजा की संवैधानिकता।
भारतीय दंड संहिता और कुछ अन्य आपराधिक कानून हत्या आदि जैसे कुछ गंभीर अपराधों में 'दुर्लभतम मामलों' में मृत्युदंड का प्रावधान करते हैं।

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RACE)

मौत की सजा की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट ने ढेर सारे मामलों में बरकरार रखा था, अगर यह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया में दिया जाता है और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया जाता है।
(मौत की सजा एक अपवाद है और जीवन का अधिकार एक नियम है।)

मृत्युदंड का अपवाद

अनुच्छेद 72 – राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति

अनुच्छेद 161 – राज्यपाल की क्षमादान शक्ति।

शिक्षा का अधिकार

अनुच्छेद 21-ए को 86वें सीएए 2002 में डाला गया था।

यह घोषणा करता है कि राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, इस तरह से राज्य निर्धारित कर सकता है।

यह प्रावधान केवल प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है न कि उच्च शिक्षा को।

पहले भाग IV में अनुच्छेद 45 के तहत बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान।

अब अनुच्छेद 45 में लिखा है - "राज्य छह वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।"

इसमें 51 ए (के) भी जोड़ा गया है जिसमें लिखा है- "6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे या वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता-पिता / अभिभावकों का कर्तव्य होगा।"

मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992

शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार में शामिल है - ।

उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य

6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा।

अनुच्छेद 21A के अनुसरण में संसद ने बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE Act) अधिनियमित किया।

धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता

धर्म के साथ संबंधों के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण

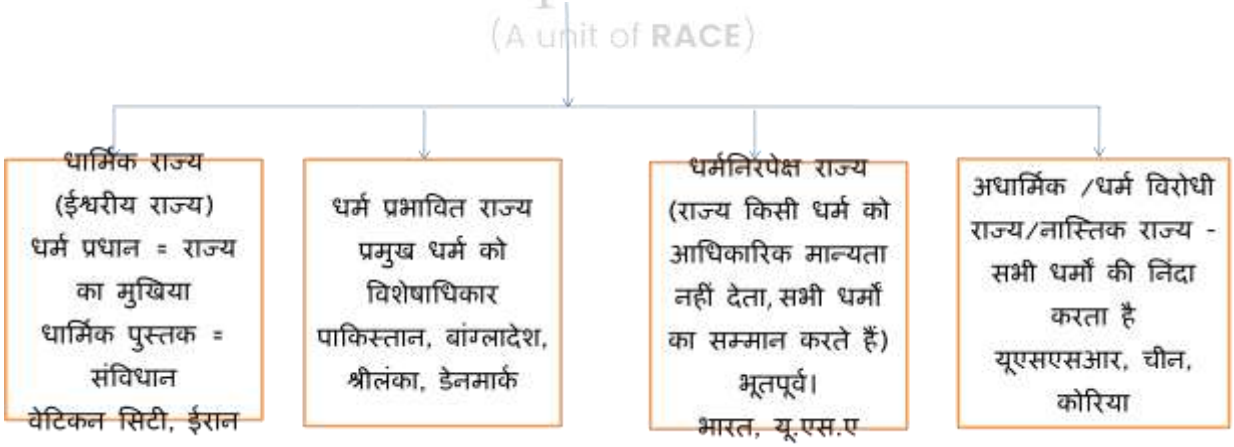

पंथनिरपेक्षता

यह शब्द 19वीं शताब्दी में जॉर्ज होलिओक द्वारा गढ़ा गया था।

पंथनिरपेक्ष - इसका मतलब है कि राज्य किसी विशेष धर्म को राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है।

राज्य धार्मिक रूप से तटस्थ है और विभिन्न धर्मों का सम्मान करता है।

भारतीय संदर्भ में पंथनिरपेक्षता

यह शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।

हालाँकि भारतीय संविधान की की प्रकृति अवधारणा शुरू से ही पंथनिरपेक्षता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने पाकिस्तान के समान सांप्रदायिक तर्ज पर राज्य बनाने के विचार को खारिज कर दिया।

पंथनिरपेक्षता का विचार अनुच्छेद 25-28 में अंतर्निहित था जो भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है।

"जब भारत कहता है कि वह एक पंथनिरपेक्ष देश है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्तिगत जीवन में धर्म की प्रासंगिकता खो गई है; इसका मतलब यह भी नहीं है कि पंथनिरपेक्षता अपने आप में एक सकारात्मक धर्म है या राज्य ने कोई दैवीय अधिकार हासिल कर लिया है। इसका सीधा सा अर्थ है कि राज्य धार्मिक रूप से तटस्थ होगा।"

- डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

भारतीय संदर्भ में धर्म और राज्य के बीच पूर्ण अलगाव नहीं है। भारतीय मॉडल धार्मिक अल्पसंख्यकों को अधिकार प्रदान करता है; राज्य धार्मिक मामलों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि कानून के दायरे में धर्म का पालन नहीं किया जाता। इसे चौकस महत्वाकांक्षा के रूप में जाना जाता है।

अनुच्छेद 25 - अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता–

अनुच्छेद 25 सभी व्यक्ति समान रूप से हकदार हैं –

ए) अंतःकरण की स्वतंत्रता - मतलब एक व्यक्ति को अपने धार्मिक विचारों और अपने व्यक्तिगत धर्म की घोषणा करने की स्वतंत्रता का अधिकार है और उसे आस्तिक या नास्तिक होने का अधिकार है।

ख) अबाध रूप से मानने का अधिकार - किसी के धार्मिक विश्वासों और विश्वास को खुले तौर पर और स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार।

ग) आचरण करने का अधिकार - धार्मिक पूजा, अनुष्ठान, समारोह और विश्वास और विचारों के प्रदर्शन का प्रदर्शन।

घ) प्रचार का अधिकार - एक व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वासों को बढ़ावा दे सकता है

हालाँकि राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य , नैतिकता और भाग III (मौलिक अधिकार) के आधार पर युक्तियुक्त निर्बंधन (उचित प्रतिबंध) लगा सकता है।

व्याख्या - कृपाण धारण करना सिक्ख धर्म में सम्मिलित समझा जाएगा। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से किसी व्यक्ति को विमान में कृपाण ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

अनुच्छेद 26 - धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता

- अनुच्छेद-26 के अधीन **लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य** के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय या उसकी किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे-

क) धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों से संस्थाओं की स्थापना और उनके संचालन का अधिकार।

ख) धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामले का प्रबंधन करने का अधिकार।

ग) चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण का अधिकार। घ) कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति को प्रशासित करने का अधिकार।

धार्मिक संप्रदाय क्या है?

किसी भी धर्म का पालन करने वाला समूह

यह समूह कुछ <u>विशिष्ट आवश्यक प्रथाओं</u> का पालन करता हो

अनुच्छेद 27: किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता

किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं।

अनुच्छेद 28: कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा के सम्बन्ध में प्रावधान

कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता

(1) राज्य-निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।

(2) खंड (1) की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है।

(3) राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने, या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने, इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है।

<u>संवैधानिक उपचारों का अधिकार</u>

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

Ubi Jus Ibi Remedium -

जहां अधिकार है, वहां उपचार है।

अनुच्छेद-32 अन्य मौलिक अधिकारों से इस अर्थ में भिन्न है कि यह प्रकृति में उपचारात्मक है, जो मौलिक अधिकारों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए क्रियाविधि प्रदान करता है। यानी मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। यह मौलिक अधिकारों को वास्तविक और लागू करने योग्य बनाता है।

डॉ. अम्बेडकर ने कहा है कि "अनुच्छेद -32 भारतीय संविधान का दिल और आत्मा है।"

अनुच्छेद 32 ने सर्वोच्च न्यायालय को **मौलिक अधिकारों का रक्षक** बनाया है। इस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है।

अनुच्छेद 32 SC को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने में सक्षम बनाता है।

1) बंदी प्रत्यक्षीकरण - जिसका शाब्दिक अर्थ है "शरीर प्राप्त करना"।

यह अदालत द्वारा किसी व्यक्ति या किसी प्राधिकारी को जारी किया गया आदेश है, जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया है, उसे अदालत में पेश करने के लिए।

अदालत व्यक्ति या प्राधिकारी से इस तरह के निरोध का कारण बताने के लिए कहती है और यदि कोई औचित्य नहीं है, तो व्यक्ति को रिहा कर दिया जाता है। इस प्रकार, यह रिट मनमानीपूर्ण निरोध के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सुरक्षात्मक उपबंध है।

यह रिट अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 के तहत दिए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित है।

शिवकांत शुक्ला वि. एडीएम जबलपुर, 1975

इसे भारतीय न्यायपालिका का काला अध्याय कहा जाता है।

राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्ति के जीवन के अधिकार को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

2) **Mandamus /**परमादेश - यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है, "आदेश"।

यह रिट न्यायपालिका द्वारा लोक अधिकारी को जारी की जाती है जो अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को निभाने से परहेज करता है जिसे करने के लिए वह बाध्य है। यह किसी भी सार्वजनिक निकाय, एक निगम, एक अधीनस्थ अदालत, एक न्यायाधिकरण या इसी उद्देश्य के लिए सरकार के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है।

यह रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती-

क) एक निजी व्यक्ति या निकाय,

b) भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल।

c) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, जब न्यायिक क्षमता में कार्य कर रहे हों।

3) प्रतिषेध/ - यह उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को जारी किया जाता है जब निचली अदालत अपने निहित क्षेत्राधिकार की सीमा (अल्ट्रा वायर्स) को पार करने की कोशिश करती है। यह रिट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। यह प्रशासनिक अधिकारियों, विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों या निकायों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है।

नोट - अर्ध न्यायिक निकाय प्रशासनिक प्राधिकरण होते हैं जिनमें न्यायिक निकाय की कुछ विशेषताएं होती हैं, लेकिन प्रक्रिया के नियमों से सख्ती से बंधे नहीं होते हैं, अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं।

उदाहरण के लिए : प्रशासनिक न्यायाधिकरण, लोक अदालत, राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय और राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, राजस्व अदालतें आदि।

4) Certiorari / **उत्प्रेषण** - Certiorari का अर्थ है "प्रमाणित होना या सूचित होना"। यह एक उच्च न्यायालय द्वारा एक निचली अदालत या अधिकरण को मुकदमे के पूरा होने और निर्णय / आदेश की घोषणा के बाद, आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता

है यदि आदेश, निर्देश या निर्णय उसके अधिकार क्षेत्र से अधिक था (अल्ट्रा वायर्स) या कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था या कानून की त्रुटि थी।
यह निवारक होने के साथ-साथ उपचारात्मक भी है।

5) अधिकार-पृच्छा/ - अधिकार-पृच्छा का शाब्दिक अर्थ है "किस अधिकार से"।
यह रिट अदालत द्वारा किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में कार्य करने से रोकने के लिए जारी की जाती है, जिसके लिए वह हकदार नहीं है।

अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 226 से कैसे भिन्न है
अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति देता है जबकि अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को शक्ति देता है
अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए लागू किया जाता है जबकि अनुच्छेद 226 को मौलिक अधिकार के साथ-साथ अन्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी लागू किया जाता है।
अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के लिए अनिवार्य है जबकि उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की विवेकाधीन शक्ति है।
अनुच्छेद 32 को आपातकाल की अवधि के दौरान निलंबित किया जा सकता है जबकि अनुच्छेद 226 को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है
अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र अनुच्छेद 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से संकुचित है।
अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश हमेशा उच्च न्यायालयों द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत पारित आदेश को अधिक्रमण करेगा।
अनुच्छेद 32 अपने आप में एक मौलिक अधिकार (संवैधानिक उपचार का अधिकार) है जबकि अनुच्छेद 226 नहीं है

राज्य के नीति निदेशक तत्त्व

भाग-IV (अनुच्छेद 36 - 51) राज्य के नीति निदेशक तत्त्व
आयरलैंड से लिया गया है
ये वे दिशा-निर्देश हैं जिन्हें नीतियों को तैयार या निष्पादित करते समय राज्य को ध्यान में रखना चाहिए।
इसका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है और यह न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक-आर्थिक न्याय भी सुनिश्चित करता है।
वे गांधीवादी समाजवाद, पश्चिमी-उदारीकरण और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अनूठा मिश्रण हैं।

डीपीएसपी की विशेषताएं
वे कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। उन्हें तभी लागू किया जा सकता है जब सरकार द्वारा नीतियों में शामिल किया जाए।
वे राज्य के सकारात्मक दायित्व हैं जो लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए नैतिक जिम्मेदारी देते हैं।
डॉ. अम्बेडकर के अनुसार - "वे कानून की अदालत में लागू होते नहीं हैं, लेकिन वे जनता की अदालत में लागू होते हैं। इसलिए कोई भी लोकप्रिय सरकार नीतियां बनाते और लागू करते समय उनकी उपेक्षा नहीं कर सकती।

अनुच्छेद 38 - राज्य लोक-कल्याण को बढ़ावा देगा और उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करेगा।

अनुच्छेद 39 -राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले कुछ सिद्धांत-

(क)- राज्य भारत के नागरिकों को आजीविका प्रदान करेगा।

अनुच्छेद 39 (बी) - समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण।

अनुच्छेद 39 (सी) – धन और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण की रोकथाम।

अनुच्छेद 39 (डी) - पुरुष और महिला के लिए समान काम के लिए समान वेतन।

अनुच्छेद 39 (ई) - बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसर को सुरक्षित करने के लिए।

*अनुच्छेद 39 - ए- राज्य समान न्याय को बढ़ावा देगा और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा।

*42वां सीएए, 1976 जोड़ा गया

अनुच्छेद 40 - ग्राम पंचायत प्रणाली को संगठित करना और कार्य करने की पर्याप्त शक्ति प्रदान करना और स्वशासन को बढ़ावा देना।

(गांधीवादी डीपीएसपी)

महात्मा गांधी के अनुसार "भारत गांवों में बसता है" और इसलिए गांवों का विकास होगा तो भारत का विकास होगा। उन्होंने शक्तियों के विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन की वकालत की।

अनुच्छेद 41 - राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर बेरोजगारी, वृद्धावस्था और बीमारी के मामले में काम, शिक्षा और सरकारी सहायता का अधिकार सुरक्षित करेगा।

अनुच्छेद 42 - काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थिति और प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करना।

अनुच्छेद 43 - जीवनयापन मजदूरी, जीवन का एक सभ्य स्तर और श्रमिकों के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने के लिए।

अनुच्छेद 43-ए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी।

(*42वें सीएए, 1976 में जोड़ा गया)

Committee to implement UCC in M.P.: Chouhan

BHOPAL
Joining the ranks of his BJP counterparts in other States, Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan on Thursday said a panel would be formed to implement the Uniform Civil Code in the State. » Page 3

अनुच्छेद 44 - पूरे देश में समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करना।

(गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां धर्म, लिंग, जाति की परवाह किए बिना समान नागरिक संहिता या सामान्य नागरिक संहिता है। गोवा में सामान्य पारिवारिक कानून है। गोवा में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी विवाह, तलाक, से संबंधित एक ही कानून से बंधे हैं। उत्तराधिकार आदि)

अनुच्छेद 45 - बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान

6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना।

(*नोट: इस निर्देश को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा बदल दिया गया था।)

अनुच्छेद 46 - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना तथा उन्हें सामाजिक अन्याय एवं शोषण से बचाना।

अनुच्छेद 47 - स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली दवाओं और पेय पदार्थों के सेवन पर रोक लगाना।

अनुच्छेद 48 – आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करना।
पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और वनों और वन्य जीवन की रक्षा करना।
गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं और भार ढोने वाले पशुओं के वध पर रोक लगाना और उनकी नस्लों में सुधार करना।

अनुच्छेद 49 - राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए ऐतिहासिक महत्व के स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना।

अनुच्छेद 50 - कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण।

अनुच्छेद 51 - अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना।

मूल कर्तव्य

भाग IV - क अनुच्छेद 51-क : मूल कर्तव्य

- भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य तत्कालीन यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित हैं।
- मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे।
- 1976 में, कांग्रेस पार्टी ने मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिश करने के लिए **सरदार स्वर्ण सिंह समिति** की स्थापना की। समिति ने संविधान में आठ मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया, लेकिन सरकार ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम (1976) के माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया।

अनुच्छेद 51 (ए) के अनुसार, यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा,

a) हमारे संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना।

ख) स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना।

c) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना।

घ) देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना।

ङ) राष्ट्र के सभी लोगों के बीच सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा का सम्मान करना।

च) देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना।

छ) वन, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना।

ज) वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और पूछताछ और सुधार की भावना विकसित करना।

i) सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से बचना।

j) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि की उत्कृष्टता को बढ़ावा देना ताकि राष्ट्र उच्च स्तर तक उठ सके।

k)* माता-पिता या अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वे छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

(*86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया।)

मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों तक ही सीमित हैं और विदेशियों तक विस्तारित नहीं हैं।

उनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं जबकि अन्य नागरिक कर्तव्य हैं।

वे ऐसे मूल्यों का उल्लेख करते हैं जो भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, प्रथाओं का हिस्सा रहे हैं।

आम तौर पर, मौलिक कर्तव्य प्रकृति में गैर-न्यायोचित होते हैं। लेकिन कुछ मामलों में वे राष्ट्रीय ध्वज, स्मारकों आदि का अपमान करना दंडनीय अपराध है ।

संविधान अदालतों द्वारा उनके प्रत्यक्ष प्रवर्तन के लिए उपबंध नहीं करता है। हालांकि, संसद उपयुक्त कानून द्वारा उन्हें लागू करने के लिए स्वतंत्र है।

भाग ५ संघ

राष्ट्रपति

द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनीं। उन्होंने विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को समाप्त हो गया

और नतीजे 21 जुलाई घोषित किए गए। उन्हें 25 जुलाई को शपथ दिलाई गई थी।

52. भारत का राष्ट्रपति—भारत का एक राष्ट्रपति होगा।

53. संघ की कार्यपालिका शक्ति-(1) संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और उसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।

(2) पूर्वगामी प्रावधान की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होगी और उसके अभ्यास को कानून द्वारा विनियमित किया जाएगा।

(3) इस लेख में कुछ भी नहीं होगा-

(ए) किसी भी मौजूदा कानून द्वारा किसी भी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकरण पर प्रदत्त कार्यों को राष्ट्रपति को स्थानांतरित करने के लिए समझा नहीं जाना चाहिए; या

(बी) संसद को राष्ट्रपति के अलावा अन्य अधिकारियों पर कानूनी कार्यों को प्रदान करने से रोकता है।

54. राष्ट्रपति का चुनाव—राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, जिसमें—

(ए) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य; तथा

(b) राज्यों की **विधान सभाओं** के निर्वाचित सदस्य।

*[स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद में और अनुच्छेद 55 में, "राज्य" में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश *पांडिचेरी शामिल हैं।]

{इंस. संविधान (सत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा द्वारा, 2 (1-6-1995 से प्रभावी)}

55. राष्ट्रपति के चुनाव की रीति.—(1) जहां तक साध्य हो, राष्ट्रपति के चुनाव में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के पैमाने में एकरूपता होगी।

राज्य की विधान सभा के एक सदस्य (विधायक) का मत मूल्य =

- राज्य की कुल जनसंख्या / कुल संख्या। उस राज्य से निर्वाचित विधायक की संख्या X 1/1000

एक सांसद (सांसद) का मत मूल्य =

निर्वाचित विधायक को सौंपे गए कुल मत/कुल संख्या मप्र का।

(3) राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा।

*[स्पष्टीकरण—इस लेख में, अभिव्यक्ति "जनसंख्या" का अर्थ 1971 की जनगणना में सुनिश्चित की गई जनसंख्या है।

एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि सफल उम्मीदवार को **पूर्ण बहुमत** से चुना जाता है।

राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित घोषित होने के लिए एक उम्मीदवार को वोटों का एक निश्चित कोटा हासिल करना चाहिए, **यानी कुल मतदान मतों की संख्या से** 50% 1 **अधिक।**

निर्वाचक मंडल के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य को अपना वोट डालते समय केवल 1 मतपत्र दिया जाता है, मतदाता को पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी....

और इसी तरह, उम्मीदवार के नाम के खिलाफ। इसका मतलब यह है कि मतदाता को चुनाव में जितने उम्मीदवार हैं, उतनी प्राथमिकताएं बतानी होंगी। वरीयता से उसका वोट उस उम्मीदवार को जाता है जिसे वह अपनी पहली वरीयता का वोट देता है।

प्रथम चरण में प्रथम वरीयता के मतों की गणना की जाती है, यदि कोई उम्मीदवार इस चरण में आवश्यक कोटा सुरक्षित कर लेता है तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है।

अन्यथा, वोटों के हस्तांतरण की प्रक्रिया गतिमान हो जाती है। प्रथम वरीयता के कम से कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मतपत्र रद्द कर दिए जाते हैं और उसके द्वितीय वरीयता के मतों को अन्य उम्मीदवार के प्रथम वरीयता के मतों में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

अनुच्छेद 56 – राष्ट्रपति की पदावधि

- अनुच्छेद 56 (1) - राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।
- अनुच्छेद 56 (1) (ए) - राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उप राष्ट्रपति को सौंप सकता है।

- अनुच्छेद 56(1)(बी)- संविधान के उल्लंघन के लिए अनुच्छेद-61 में दी गई महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है।

- अनुच्छेद 56(2) इस त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा यथाशीघ्र लोकसभा अध्यक्ष को दी जाएगी।

- अनुच्छेद 56 (1) (सी) - अपने कार्यकाल की समाप्ति पर वह तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी (अगला राष्ट्रपति) अपने कार्यालय में प्रवेश नहीं कर लेता।

अनुच्छेद 57 – राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए योग्यता

अनुच्छेद 58 - राष्ट्रपति कार्यालय के लिए योग्यता

1) वह भारत का नागरिक होना चाहिए।

2) उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए थी।

3) लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना।

4) वह केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो।

5) राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए एक उम्मीदवार के नामांकन को प्रस्तावक के रूप में कम से कम 50 निर्वाचकों और अनुमोदक के रूप में 50 निर्वाचकों द्वारा सब्सक्राइब किया जाना चाहिए।

6) प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये की सुरक्षा जमा करनी होगी। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए वैध मत का 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

59. राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें.—

(1) राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी भी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो वह यह समझा जाएगा कि उसने राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख को उस सदन में अपनी सीट खाली कर दी है।

(2) राष्ट्रपति किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होगा।

(3) राष्ट्रपति अपने आधिकारिक आवासों के उपयोग के लिए किराए के भुगतान के बिना हकदार होंगे और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों के भी हकदार होंगे जो संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं और जब तक कि इस संबंध में प्रावधान नहीं किया जाता है, ऐसी परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

(4) राष्ट्रपति की परिलब्धियाँ और भत्ते उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएँगे।

60. राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान (तीसरी अनुसूची)

- प्रत्येक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाला या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में हस्ताक्षर करेगा और हस्ताक्षर करेगा। न्यायालय उपलब्ध है, निम्नलिखित रूप में एक शपथ या प्रतिज्ञान, अर्थात्-
- "मैं, एबी, ईश्वर की शपथ लेता/सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं कि मैं भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय (या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन) को ईमानदारी से निष्पादित करूंगा और अपनी क्षमता के अनुसार संविधान की रक्षा, रक्षा और बचाव करूंगा। और कानून और यह कि मैं खुद को भारत के लोगों की सेवा और भलाई के लिए समर्पित कर दूंगा।"

61. राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया.—

(1) जब किसी राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जाना है, तो संसद के किसी भी सदन द्वारा आरोप लगाया जाएगा।

(2) ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं किया लगाया जाएगा जब तक कि-

(ए) इस तरह के आरोप को लगाने की प्रस्थापना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जिसे कम से कम चौदह दिनों के लिखित नोटिस के बाद सदन के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है, उनके इरादे के बारे में बताया गया है संकल्प को स्थानांतरित करें, और

(बी) ऐसा संकल्प सदन की **कुल सदस्यता के कम से कम दो-तिहाई** बहुमत से पारित किया गया हो।

(3) जब संसद के किसी भी सदन द्वारा आरोप लगाया गया है, तो दूसरा सदन आरोप की जांच करेगा या आरोप की जांच करवाएगा और राष्ट्रपति को इस तरह की जांच में पेश होने और प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा।

(4) यदि जांच के परिणामस्वरूप सदन की **कुल सदस्यता के कम से कम दो-तिहाई बहुमत** से एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसके द्वारा आरोप की जांच की गई थी या जांच की गई थी, यह घोषणा करते हुए कि आरोप के खिलाफ लगाया गया था राष्ट्रपति कायम रखा गया है, ऐसे संकल्प का प्रभाव राष्ट्रपति को उनके कार्यालय से उस तारीख से हटाने का होगा, जिस तारीख को संकल्प इस प्रकार पारित किया जाता है।

62. राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए व्यक्ति की पदावधि - (1) राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव पूरा किया जाएगा कार्यकाल की समाप्ति से पहले।

(2) राष्ट्रपति के कार्यालय में उनकी मृत्यु, इस्तीफे या हटाने, या अन्यथा के कारण होने वाली रिक्ति को भरने के लिए चुनाव, जितनी जल्दी हो सके, और किसी भी मामले में छह महीने की तारीख से बाद में आयोजित नहीं किया जाएगा। रिक्ति का; और रिक्ति को भरने के लिए चुने गए व्यक्ति, अनुच्छेद 56 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अपने पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की पूर्ण अवधि के लिए पद धारण करने के हकदार होंगे।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ

कार्यकारी शक्तियां

अनुच्छेद 77 : (1) भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी।

(2) सभी उपकरण और आदेश राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे।

(3) वह संघ के कामकाज के संचालन के लिए नियम बनाएगा।

(4) वह प्रधान मंत्री और उसके मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है।

(5) वह महान्यायवादी की नियुक्ति करता है।

(6) वह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है।

(7) वह सीधे अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन करता है।

(8) राष्ट्रपति की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर बातचीत की जाती है। वह राजनयिकों की नियुक्ति करता है।

विधायी शक्तियाँ

(1) वह संसद को बुलाता है और सत्रावसान करता है और लोकसभा को भंग करता है।
(2) वह संसद की संयुक्त बैठक भी बुलाता है।
(3) वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को संबोधित करते हैं।
(4) वह राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है।
(5) कुछ प्रकार के बिल पेश करने के लिए उनकी पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। भूतपूर्व। धन विधेयक, नए राज्यों के गठन के लिए विधेयक आदि
(6) संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही अधिनियम बनता है।
(7) अनुच्छेद 123 : संसद सत्र न चलने की स्थिति में वह अध्यादेश जारी कर सकता है।

<u>न्यायिक शक्तियां</u>

(1) वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।

(2) अनुच्छेद 143 के तहत वह कानून या तथ्य के किसी भी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है।

(3) अनुच्छेद 72 के तहत वह क्षमा, उसका प्रविलंबन (सजा के निष्पादन में विलंब) विराम या परिहार करने (गर्भावस्था या विकलांगता जैसे किसी विशेष कारण से कम सजा) की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण (एक रूप का लाइटर रूप में प्रतिस्थापन, उदाहरण के लिए मौत की सजा को आजीवन कारावास) करने की शक्ति होगी।

आपातकालीन शक्तियां

राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है

(ए) राष्ट्रीय आपातकाल - अनुच्छेद 352

(बी) राष्ट्रपति शासन - अनुच्छेद 356 और 365

(सी) वित्तीय आपातकाल - अनुच्छेद 360

<u>वित्तीय शक्तियां</u>

धन विधेयक(मनी बिल) (अनुच्छेद 110) केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के साथ पेश किया जा सकता है।

वह संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण (अनुच्छेद 112) रखता है।

राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदान की कोई माँग नहीं की जा सकती।

वह भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम दे सकता है।

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RACE)

प्रत्येक 5 वर्ष के बाद उनके द्वारा एक वित्त आयोग (अनुच्छेद 280) का गठन किया जाता है।

उपराष्ट्रपति

संविधान के अनुच्छेद -63 में प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है।

- उप-राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है।

अनुच्छेद-64 : उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होगा।

- राज्य सभा के अध्यक्ष के रूप में, वह सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है और लोकसभा में अध्यक्ष के समकक्ष के रूप में इसके सभी मामलों के संदर्भ में कार्य करता है।

लेकिन, उपराष्ट्रपति के रूप में, उन्हें संविधान में कोई कार्य नहीं सौंपा गया है। वह राज्य सभा के सभापति की हैसियत से अपना वेतन प्राप्त करता है।

एक्स्ट्रा शॉट्स: जब राज्यसभा में कोई बिल पेश किया जाता है तो उपराष्ट्रपति यह तय करता है कि यह वित्त विधेयक है या नहीं। यदि उनकी राय है कि राज्य सभा में पेश किया गया विधेयक धन विधेयक है तो वे विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष के पास निर्णय के लिए भेजेंगे।

अनुच्छेद 65 – राष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफे या हटाने के कारण किसी भी रिक्ति की घटना की स्थिति में, उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता।

- राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति राज्य सभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा।

उपराष्ट्रपति का चुनाव

अनुच्छेद 66 - उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय वोट और गुप्त मतदान के माध्यम से होता है।

- उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं।

योग्यता [अनुच्छेद -66(3)]

अनुच्छेद 66 (3) - उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित योग्यताएं पूरी करनी चाहिए -

1. वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए।
3. वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए।
4. वह केंद्र सरकार, किसी राज्य सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो।

उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव के लिए एक उम्मीदवार के नामांकन पर प्रस्तावक के रूप में कम से कम 20 निर्वाचकों और अनुमोदक के रूप में अन्य 20 निर्वाचकों की सदस्यता होनी चाहिए और प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये की सुरक्षा राशि जमा करनी होगी।

अनुच्छेद 66 (4) - उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि ऐसे सदन का कोई सदस्य उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है तो उसे पद छोड़ना माना जाएगा। उसकी सीट।

कार्यालय की अवधि (अनुच्छेद -67)

[अनुच्छेद -67 (ए)] उपराष्ट्रपति अपने कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करता है, हालांकि वह राष्ट्रपति को इस त्याग पत्र को संबोधित करके किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकता है।

अनुच्छेद-67(ख)- उपाध्यक्ष को हटाना

उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले अपने कार्यालय से हटाया जा सकता है। उसे पूर्ण बहुमत से पारित राज्य सभा के एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है (अर्थात् सदन की कुल संख्या का एक साधारण बहुमत) और लोकसभा द्वारा उपस्थित और मतदाताओं के साधारण बहुमत द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है। ऐसा कोई प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे कम से कम 14 दिनों की अग्रिम सूचना न दी गई हो।

उनके निष्कासन के लिए संविधान में किसी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है।

अनुच्छेद-67 (सी) : उपराष्ट्रपति अपने उत्तराधिकारी के पदभार ग्रहण करने तक 5 वर्ष की अवधि से अधिक पद धारण कर सकता है। वह उस कार्यालय के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए भी पात्र है और वह कितनी भी शर्तों के लिए निर्वाचित हो सकता है।

अनुच्छेद-69: गोपनीयता में पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा उप-राष्ट्रपति को दिलाई जाती है।

कार्यालय में रिक्ति

उपराष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति निम्न में से किसी भी तरीके से हो सकती है -

1. अपने 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति पर।
2. उनके इस्तीफे से।
3. उसके हटाने से।
4. उसकी मृत्यु से।
5. जब उसका चुनाव शून्य घोषित किया गया हो।

अनुच्छेद 71 - राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित या उससे संबंधित सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

अनुच्छेद 71 (4) - उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अधूरा था (11वां सीएए 1961)

यदि उपराष्ट्रपति का चुनाव सुप्रीम कोर्ट द्वारा शून्य घोषित किया जाता है, तो उसके द्वारा ऐसी घोषणा की तारीख से पहले किए गए अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अमान्य नहीं किया जाता है।

उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य

1) वह राज्य सभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।

2) वह मृत्यु, इस्तीफे या महाभियोग या अन्यथा के कारण राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इसलिए, उपराष्ट्रपति की प्राथमिक भूमिका स्पष्ट रूप से राजनीतिक समर्थन की है।

3) राज्य सभा में उन्होंने टाई होने की स्थिति में निर्णायक वोट डाला।

प्रधान मंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद

भारत राज्य एक संसदीय प्रणाली का अनुसरण करता है, जहां राष्ट्रपति केवल नाममात्र प्रमुख होता है और प्रधान मंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है।

अनुच्छेद 74 - राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद

(i) राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधान मंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी जो इसके अनुसार अपने कार्यों का प्रयोग करेगी।

परन्तु राष्ट्रपति मंत्री-परिषद से सलाह पर पुनर्विचार करने की मांग कर सकते हैं और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गयी सलाह के अनुसार ही करेंगे।

(ii) मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी।

<u>मंत्रिपरिषद की संरचना</u>

मंत्रिपरिषद की संरचना और संरचना के संबंध में संविधान कोई प्रावधान नहीं करता है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं -

1) कैबिनेट मंत्री

2) राज्य मंत्री

3) उप मंत्री

4) संसदीय सचिवालय

1) **कैबिनेट मंत्री** - वे वरिष्ठ मंत्री होते हैं और सरकार के महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुख होते हैं। जैसे गृह, रक्षा, वित्त, विदेश आदि। वे कैबिनेट के सदस्य होते हैं, इसकी बैठकें करते हैं और नीतियां तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके पास अन्य मंत्रालयों का अतिरिक्त प्रभार भी हो सकता है।

ये मंत्री न केवल अपने विभाग के राजनीतिक प्रमुख होते हैं बल्कि उनकी जिम्मेदारियां प्रशासन के पूरे क्षेत्र में विभागीय सीमाओं को पार कर जाती हैं।

2) **राज्य मंत्री** - राज्य मंत्री को या तो स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है या कैबिनेट मंत्रियों से संबद्ध किया जा सकता है।

RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of RACE)

3) **उप मंत्री** - ये कनिष्ठ मंत्री होते हैं और इनके पास किसी भी विभाग का अलग प्रभार नहीं होता है। वे सीधे कैबिनेट मंत्रियों या राज्यों के मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनके प्रशासनिक राजनीतिक और उनके संसदीय कर्तव्यों में उनकी सहायता करते हैं। वे कैबिनेट के सदस्य नहीं हैं और कैबिनेट की बैठकें नहीं करते हैं।

4) **संसदीय सचिव** - वे मंत्रिपरिषद की अंतिम श्रेणी के सदस्य होते हैं और उनके नियंत्रण में कोई विभाग नहीं होता है।

अनुच्छेद 75 - **मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान**

(1) प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पीएम की सलाह पर की जाएगी।

* संविधान में प्रधान मंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है।

जब लोकसभा में किसी दल का स्पष्ट बहुमत न हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति में अपने व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग कर सकता है।

प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है।

(1-ए) 91वें सीएए 2003 के बाद मंत्रिपरिषद के कुल सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।

(1-बी) 52वें सीएए 1985 में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल-बदल विरोधी के आधार पर अयोग्यता प्रदान करती है।

किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित संसद के किसी भी सदन का सदस्य जो दल-बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया है, उसे भी मंत्री के रूप में नियुक्त करने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

(आया राम, गया राम)

(2) मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा।

(3) मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी।

हमारा संविधान केवल सामूहिक जिम्मेदारी प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि एक भी मंत्री के लिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं हो सकता है। सरकार के सभी कार्यों के लिए पूरी मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात वे एक साथ तैरती और डूबती हैं। अगर मंत्रिपरिषद सदन का विश्वास खो देता है तो पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा।

(4) राष्ट्रपति मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। (अनुसूची III)

(5) संसद सदस्य या तो लोकसभा या राज्यसभा को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन 6 महीने के भीतर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा, अन्यथा वह मंत्री नहीं रहेगा।

* एक मंत्री जो संसद के एक सदन का सदस्य है उसे दूसरे सदन में बोलने का अधिकार है और कार्यवाही में भी भाग लेने का अधिकार है। लेकिन वह केवल उसी सदन में मतदान कर सकता है जिससे वह संबंधित है।

(6) वेतन और भत्ते संसद द्वारा समय-समय पर तय किए जाएंगे और दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किए जाएंगे।

भारत के महान्यायवादी

अनुच्छेद 76 - **भारत का महान्यायवादी**

1) महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होना चाहिए।

2) सरकार को सलाह देना महान्यायवादी का कर्तव्य होगा। भारत के और राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपे गए कानूनी चरित्र के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन भी करेगा ।

3) अपने कर्तव्यों के पालन में, अटॉर्नी जनरल को सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा।

4) वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करेगा।

अनुच्छेद 88 - भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद की किसी भी समिति की संयुक्त बैठक में किसी भी सदन में बोलने का अधिकार होगा, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

सीमा

1. वह सरकार के खिलाफ सलाह नहीं दे सकता। भारत की।
2. वह भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मुकदमे में किसी आरोपी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है।
3. उसे भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी कंपनी या निगम में निदेशक के रूप में नियुक्ति स्वीकार नहीं करनी चाहिए।

हालांकि, अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का पूर्णकालिक कानूनी सलाहकार नहीं है। अतः वह सरकारी सेवक की श्रेणी में नहीं आता है। इसके अलावा, उन्हें निजी कानूनी प्रैक्टिस से वंचित नहीं किया गया है।

राज्यसभा

राज्यसभा राज्य की परिषद है अर्थात संघीय स्तर पर राज्यों का प्रतिनिधित्व।

यह स्थायी सदन है यानी भंग नहीं होता है।

राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं।

इसमें निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं।

राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले अधिकतम 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं।

राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 (238 निर्वाचित और 12 मनोनीत सदस्य) है।

वर्तमान में राज्यसभा की कुल संख्या 245 है।

RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of RACE)

सदस्यों का चुनाव

233 सदस्य राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली और पुडुचेरी) से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से चुने जाते हैं।

क्रास वोटिंग को रोकने के लिए 2003 में गुप्त मतदान प्रणाली को **खुले मतदान प्रणाली** से बदल दिया गया था।

राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। (निर्वाचित विधायक)।

अनुसूची IV राज्यसभा में सीटों के आवंटन के लिए प्रदान करता है।

राज्यसभा में राज्य को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं। इस प्रकार, बड़ी आबादी वाले राज्य में राज्यसभा में अधिक सीटें हैं। (यू.पी में राज्यसभा के अधिकतम 31 सदस्य होते हैं।

सदस्यों की योग्यता

भारत का नागरिक होना चाहिए।

30 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए।

किसी भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक पंजीकृत मतदाता होना चाहिए।

(2003 के बाद राज्यसभा के लिए राज्यसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की आवासीय आवश्यकता को हटा दिया गया है।)

ऐसी अन्य योग्यताएं रखता है जो संसद द्वारा वर्णित की जा सकती हैं।

राज्यसभा की प्रासंगिकता

यह संघीय स्तर पर राज्यों के प्रतिनिधित्व का संवैधानिक आधार प्रदान करता है, इसलिए उच्च सदन एक संवैधानिक आवश्यकता है। हालांकि यह दूसरा कक्ष है लेकिन यह संसद का द्वितीय कक्ष नहीं है। राज्य सभा, लोक सभा द्वारा पारित किए जा सकने वाले हड़बड़ी में पारित किए जाने वाले विधानों पर रोक लगाती है और इसके पास प्रतिभा और विशेषज्ञता की भर्ती करने का अवसर भी होता है।

राष्ट्रपति द्वारा घोषित सभी सामान्य विधेयकों, संवैधानिक संशोधन विधेयकों और आपातकाल की स्वीकृति के प्रस्ताव को राज्य सभा में भी पारित करना होगा।

कुछ प्रकार के बिल केवल राज्यसभा में पेश किए जा सकते हैं।

भले ही मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्य सभा C.O.M को नियंत्रित करने में एक प्रभावी भूमिका निभाती है क्योंकि लोक सभा आम तौर पर सरकार से सहमत होती है।

राज्य सभा की विशेष शक्तियाँ

अपने संघीय चरित्र के कारण, राज्य सभा को दो अनन्य या विशेष शक्तियाँ दी गई हैं जिनका उपयोग लोकसभा द्वारा नहीं किया जाता है।

1)अनुच्छेद 249 - राज्य सभा के पास विशेष शक्ति है (2⁄3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करें और उपस्थित और मतदाता) राज्यसभा के पास यह घोषित करने की विशेष शक्ति है कि यह राष्ट्रीय हित में आवश्यक और समीचीन है कि संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में लेकिन ऐसा कानून 1 वर्ष से अधिक नहीं लागू रहेगा।

2) अनुच्छेद 312 - राज्य सभा के पास प्रस्ताव पारित करने की विशेष शक्ति है जो संसद को केंद्र और राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है।

असमान स्थिति

(i) धन विधेयक (मनी बिल) केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और राज्यसभा इसे संशोधित या अस्वीकार नहीं कर सकती है और इसे 14 दिनों के भीतर या तो सिफारिश के साथ या बिना सिफारिश के लोकसभा को वापस करना होगा। लोकसभा राज्यसभा द्वारा की गई किसी भी सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है।

(ii) राज्यसभा केवल बजट पर चर्चा कर सकती है लेकिन अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है जो लोकसभा के लिए विशेषाधिकार है।

(iii) राष्ट्रीय आपातकाल को **समाप्त** करने का प्रस्ताव केवल लोकसभा द्वारा पारित किया जा सकता है।

(iv) राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

लोक सभा

लोक सभा

लोक सभा संसद का लोकप्रिय सदन है। इस सदन के सदस्य सीधे भारत के लोगों द्वारा चुने जाते हैं।

अनुच्छेद 81 - **लोकसभा की संरचना**

संविधान प्रदान करता है कि लोकसभा में 552 सदस्यों से अधिक नहीं होना चाहिए, इन 530 सदस्यों में राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं।

एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 अतिरिक्त सदस्यों को भी भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया गया था जिसे जनवरी 2020 में 104वें सीएए, 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया था।

104 **संशोधन**

अनुच्छेद 331: इसमें कहा गया है कि अगर समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति एंग्लो-इंडियन समुदाय के दो सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं।

अनुच्छेद 333: इसमें कहा गया है कि किसी राज्य का राज्यपाल यदि उसकी राय है कि एंग्लो इंडियन समुदाय को राज्य की विधानसभा में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है और उसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह उस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में नामित कर सकता है।

अनुच्छेद 334**(बी)**: विधायी निकायों में एंग्लो इंडियन समुदाय का आरक्षण इस संविधान के प्रारंभ से सत्तर वर्ष की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा:

<u>लोकसभा की अवधि</u>

अनुच्छेद 83 (2) - लोकसभा की अवधि आम चुनाव के बाद इसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष है। जिसके बाद यह अपने आप भंग हो जाता है। हालाँकि, राष्ट्रपति 5 साल से पहले किसी भी समय लोकसभा को भंग करने के लिए अधिकृत हैं और इसे कानून की अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तो लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून द्वारा एक बार में एक वर्ष के लिए, कितनी भी बार के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि, यह विस्तार आपातकाल के समाप्त होने के बाद 6 महीने की अवधि से अधिक जारी नहीं रह सकता है।

नोट: 42वें सीएए 1976 द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था। 44वें सीएए 1978 द्वारा इसे फिर से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया।

लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता

1) व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए।

2) लोकसभा के लिए उनकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

3) उसे एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।

<u>लोकसभा में कार्यालय</u>

लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

अनुच्छेद 93 - लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष - लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों के बीच ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। यह चुनाव आम चुनाव के बाद हुई सदन की पहली बैठक में होना है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर करेंगे.

अनुच्छेद 94 पिछली लोकसभा का अध्यक्ष नव निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अपना कार्यालय खाली कर देता है। हालाँकि, उन्हें निम्नलिखित मामलों में अपना कार्यालय पहले ही खाली करना होगा -

1) यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है।

2) यदि वह डिप्टी स्पीकर को इस्तीफा दे देता है।

3) यदि उसे लोकसभा के पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाता है और ऐसा प्रस्ताव केवल 14 दिनों की अग्रिम सूचना देने के बाद ही पेश किया जा सकता है।

अनुच्छेद 96 जब स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव सदन के विचाराधीन हो तो वह सदन की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता, भले ही वह उपस्थित हो। हालाँकि, वह बोल सकता है और सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है और पहली बार मतदान कर सकता है, हालाँकि मतों की समानता के मामले में मतदान नहीं कर सकता है ।
नोट: जब भी लोकसभा भंग होती है तो अध्यक्ष अपना पद खाली नहीं करता है और नवनिर्वाचित लोकसभा तक बना रहता है।

प्रोटेम स्पीकर

प्रोटेम स्पीकर - लोकसभा अध्यक्ष नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अपना कार्यालय खाली कर देता है इसलिए राष्ट्रपति लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर सकता है।
प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति खुद शपथ दिलाते हैं।
उनके पास अध्यक्ष की सभी शक्तियाँ थीं।
वह नवनिर्वाचित लोक सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है।
उनका मुख्य कार्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना है।
वह नए स्पीकर के चुनाव में सदन की मदद भी करता है।
जब सदन द्वारा नए स्पीकर का चुनाव किया जाता है तो उसका पद समाप्त हो जाता है।

लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य

स्पीकर लोकसभा और उसके प्रतिनिधियों का प्रमुख होता है। वह सदन का प्रधान प्रवक्ता होता है और सभी संसदीय मामलों में उसका निर्णय अंतिम होता है। इन क्षमताओं में उन्हें विशाल, विविध और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं।
वह अपनी शक्तियों और कर्तव्यों को 3 स्रोतों से प्राप्त करता है।

1) भारत का संविधान।

2) लोक सभा की प्रक्रियाओं और कार्य संचालन के नियम।

3) संसदीय सम्मेलन।

(अवशिष्ट शक्तियाँ जो नियमों में अलिखित या अनिर्दिष्ट हैं)।

शक्तियाँ और कर्तव्य

1) वह सदन की व्यवस्था और मर्यादा बनाए रखता है।

2) वह सदन को स्थगित कर देता है या गणपूर्ति के अभाव में बैठक को स्थगित कर देता है।

3) वह पहली बार में मतदान नहीं करता है लेकिन टाई होने की स्थिति में वह निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है।

4) वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है।

5) वह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।

6) वह सदन के नेता के अनुरोध पर सदन की गुप्त बैठक की अनुमति दे सकता है।

7) वह लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है।

8) वह 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत दलबदल के आधार पर उत्पन्न होने वाले लोकसभा के सदस्य की अयोग्यता के प्रश्नों का निर्णय करता है।

लोकसभा के उपाध्यक्ष

स्पीकर की तरह डिप्टी स्पीकर भी स्पीकर के चुनाव के बाद लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है।
जब भी डिप्टी स्पीकर का पद रिक्त होता है तो लोक सभा उस रिक्त स्थान को भरने के लिए दूसरे सदस्य का चुनाव करती है।
डिप्टी स्पीकर स्पीकर के कार्यालय के रिक्त होने पर कर्तव्यों का पालन करता है और उस दौरान वह स्पीकर की सभी शक्तियों को ग्रहण करता है।
वह स्पीकर को इस्तीफा दे देता है या उसे उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे स्पीकर को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

संसद में नेताओं के प्रकार

सदन का नेता - संसदीय नियमों के अनुसार, लोकसभा के साथ-साथ राज्यसभा में भी सदन का नेता होना चाहिए। जब लोक सभा की बात आती है तो प्रधान मंत्री को सदन का नेता होना चाहिए, लेकिन उस स्थिति में उसे लोक सभा का सदस्य होना चाहिए, यदि वह नहीं है तो कोई अन्य मंत्री जो लोक सभा का सदस्य भी है, प्रधान द्वारा नियुक्त किया जाएगा। मंत्री का सदन के नेता के रूप में कार्य करना।

- जब राज्यसभा की बात आती है तो किसी भी मंत्री को जो राज्यसभा का सदस्य भी होता है, पीएम द्वारा सदन के नेता के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाएगा।

किसी भी सदन में सदन का नेता एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है और व्यवसाय के संचालन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है और वह सदन के उप नेता को भी नामित करता है।

विपक्ष का नेता - संसदीय नियम के अनुसार, विपक्ष का नेता वह राजनेता होता है जो भारत की संसद के किसी भी सदन में आधिकारिक स्थिति का नेतृत्व करता है। उनके भत्ते कैबिनेट मंत्री के बराबर होते हैं।

- उसका मुख्य कार्य सरकार की नीतियों की रचनात्मक आलोचना करना है। और एक वैकल्पिक सरकार प्रदान करने के लिए।
- किसी भी सदन में आधिकारिक स्थिति का दावा करने के लिए सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को सदन की कुल संख्या का 10% सीटें सुरक्षित करनी होती हैं।

(यह लोकप्रिय रूप से मावलंकर सूत्र के रूप में जाना जाता है। जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे।)

व्हिप - व्हिप एक राजनीतिक दल का एक अधिकारी होता है जिसका कार्य विधायिका में पार्टी अनुशासन सुनिश्चित करना होता है। इसका आमतौर पर मतलब यह सुनिश्चित करना है कि पार्टी के सदस्य अपनी व्यक्तिगत विचारधारा के बजाय पार्टी की इच्छा के अनुसार मतदान करें।
भारत के संविधान में व्हिप के कार्यालय का उल्लेख संसदीय क़ानून में भी नहीं है, लेकिन यह संसदीय सरकार के सम्मेलनों पर आधारित है। प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे वह सत्ताधारी हो या विपक्ष, का संसद में अपना व्हिप होता है। उन्हें राजनीतिक दल द्वारा सहायक फ्लोर लीडर के रूप में नियुक्त किया जाता है। वह बड़ी संख्या में अपनी पार्टी के सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और किसी विशेष मुद्दे के पक्ष या विपक्ष में उनका समर्थन हासिल करने की जिम्मेदारी के प्रभारी हैं।

संसदीय कार्यवाही

संसद के सत्र

अनुच्छेद 85 (1) - यह राष्ट्रपति को प्रत्येक सदन को इतने अंतराल पर बुलाने की शक्ति देता है कि दो सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। आम तौर पर प्रत्येक वर्ष संसद के 3 सत्र होते हैं।

1. बजट सत्र - फरवरी से मई (सबसे लंबा)
2. मानसून सत्र - जुलाई से सितंबर
3. शीतकालीन सत्र - नवंबर से दिसंबर (सबसे छोटा)

संसदीय कार्यवाही

अनुच्छेद 118 - **प्रक्रिया के नियम:**

संसद का प्रत्येक सदन अपने विनियमन, प्रक्रिया और कार्य संचालन के लिए नियम बना सकता है।

प्रश्नकाल: प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए आरक्षित होता है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य प्रशासन और सरकार के विभिन्न पहलुओं पर प्रश्न पूछते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर मंत्री आमतौर पर उत्तर देते हैं।
सभी प्रश्न अध्यक्ष को संबोधित किये जाते हैं। और सरकार उनका जवाब देने के लिए बाध्य है।

प्रश्न 3 **प्रकार के होते हैं** -

1) तारांकित प्रश्न : तारांकित प्रश्न वह होता है, जिस पर सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है। यह तारांकन चिह्न है(*) ।

- सदस्यों को इस पर पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति है।

2) एक अतारांकित प्रश्न : एक अतारांकित प्रश्न वह होता है, जिसके लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता नहीं होती है और कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है और ऐसे प्रश्न का उत्तर लिखित रूप में देना होता है।

3) अल्प सूचना प्रश्न : सार्वजनिक महत्व के मामले से संबंधित प्रश्न 10 दिनों से कम समय के नोटिस में पूछे जा सकते हैं और इसका मौखिक उत्तर दिया जाता है। इसमें सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है।

याद दिलाने के संकेत:

(i) यह अध्यक्ष/सभापति द्वारा तय किया जाएगा कि प्रश्न को तारांकित माना जाए या अतारांकित।

(ii) तारांकित या अतारांकित प्रश्न के लिए नोटिस की अधिकतम अवधि 10 दिन है।

शून्यकाल - प्रश्नकाल के विपरीत, संसदीय कार्यवाही के नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है।

- शून्य काल संसद में प्रश्नकाल के बाद शुरू होता है और दिन का एजेंडा शुरू होने तक चलता है। (प्रश्नकाल और एजेंडा के बीच का अंतर शून्य काल है)
- शून्य काल के दौरान सदस्य पूर्व सूचना के बिना कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं।
- यह भारतीय नवाचार है जो 1962 से चलन में है।

<u>संसदीय प्रस्ताव</u>

1. अविश्वास प्रस्ताव भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है।

लोकसभा नियम-198 के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है।

अनुच्छेद-75 में कहा गया है कि मंत्रालय तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। यदि किसी सदस्य को लगता है कि सत्ताधारी दल ने बहुमत का समर्थन खो दिया है तो लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके बहुमत को पद से हटा सकती है।

- इस प्रस्ताव को कम से कम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता है और स्पीकर को संसद के सदस्य द्वारा एक लिखित नोटिस प्राप्त करना होगा और मतदान के लिए तिथि निर्धारित की जानी चाहिए जो नोटिस प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर होनी चाहिए।
- नियुक्त सरकार। सत्ता में बने रहने के लिए फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करना होगा। अगर वे फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाते हैं या अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है।

2. **विश्वास प्रस्ताव** - शून्यकाल की तरह विश्वास प्रस्ताव एक भारतीय नवाचार है। विश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लिया जा सकता है। यदि कोई सहयोगी दल सत्तारूढ़ पार्टी की नीतियों की आलोचना करता है और अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा करता है तो राष्ट्रपति यह जांच कर सकता है कि सत्तारूढ़ पार्टी के पास लोकसभा में बहुमत है या नहीं। विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य ले सकता है।

3. **समापन प्रस्ताव** - यह मामले पर बहस को कम करने के लिए पेश किया जाता है। अगर इसे मंजूरी दे दी जाती है तो मामले को तुरंत रोक दिया जाता है और मतदान के लिए रखा जाता है।
(i) साधारण समापनः एक सदस्य प्रस्ताव करता है कि इस मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है अतः अब मतदान कराया जाए।
(ii) खंडों द्वारा समापन - किसी विधेयक या संकल्प के खंडों को भागों में बांटा जाता है, पूरे हिस्से पर बहस होती है और पूरे हिस्से को वोट के लिए रखा जाता है।
(iii) कंगारू समापन - केवल महत्वपूर्ण खंडों पर बहस की जाती है और वोट लिया जाता है और अन्य खंडों को छोड़ दिया जाता है और पारित मान लिया जाता है।
(iv) गिलोटिन समापन - किसी बिल के गैर-चर्चा वाले खंडों को भी चर्चा के लिए मतदान के लिए रखा जाता है, क्योंकि चर्चा का समय समाप्त हो गया है।

4. **ध्यानाकर्षण प्रस्ताव** - यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा सार्वजनिक महत्व के अत्यावश्यक मामले पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किया जा सकता है और मंत्री से उस मामले पर आधिकारिक बयान देने की अपेक्षा की जाती है।
इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
- शून्यकाल की तरह यह भी संसदीय प्रक्रिया में एक भारतीय नवाचार है और 1954 से अस्तित्व में है।

5. **स्थगन प्रस्ताव**: स्थगन प्रस्ताव का प्राथमिक उद्देश्य अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के एक हालिया विशिष्ट मामले की ओर लोकसभा का ध्यान आकर्षित करना है। इसकी अनुमति केवल लोकसभा में है और इस तरह के प्रस्ताव को कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है।
यह उनके घर के सामान्य व्यवसाय को बाधित करता है और इसलिए सरकार पर नियंत्रण का एक असाधारण उपकरण है।

6. **धन्यवाद प्रस्ताव** - धन्यवाद प्रस्ताव एक भारतीय संसद में एक प्रस्ताव है जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में भारत के राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आता है। नई लोकसभा के पहले सत्र और हर साल के पहले सत्र के प्रारंभ में।
यह भाषण सरकार की नीतियों का बयान है और कैबिनेट द्वारा अनुमोदित है। इस भाषण में राष्ट्रपति ने सरकार की विधायी और नीतिगत गतिविधियों, पिछले वर्षों की उपलब्धि और आगामी वर्ष के व्यापक एजेंडे पर प्रकाश डाला।
- चर्चा के अंत में प्रस्ताव पर मतदान होता है। यह प्रस्ताव सदन में पारित होना चाहिए। अन्यथा, यह सरकार की हार के बराबर है।

7. **निंदा प्रस्ताव** - यह प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है और विपक्ष द्वारा लिया जा सकता है। इसे विशिष्ट नीतियों और कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद की निंदा करने के लिए पेश किया जाता है। इसे एक व्यक्तिगत मंत्री या मंत्रियों के एक समूह या पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ ले जाया जा सकता है। यदि यह पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है।

नोट: यदि सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया जाता है तो मंत्रिपरिषद सदन का विश्वास पुनः प्राप्त करने के लिए यथाशीघ्र विश्वास प्रस्ताव पारित करेगी।

8. **विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव** - अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों का प्रावधान करता है। यह प्रस्ताव किसी मंत्री द्वारा तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर या तथ्यों को रोक कर एक या अधिक सदस्यों या सदन के विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित है।

9. **व्यवस्था का प्रश्न** - जब सदन की कार्यवाही सामान्य प्रक्रिया का पालन नहीं करती है तो इसे सदस्य द्वारा उठाया जा सकता है। पीओआई पर किसी बहस की अनुमति नहीं है। यह कार्यवाही को निलंबित करता है और इसलिए सरकार को नियंत्रित करने के लिए एक और असाधारण उपकरण है।

संसदीय समितियाँ

संसदीय भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है। इसके कार्य विविध, जटिल और विशाल हैं। इसके अलावा, इसके पास सभी विधायी उपायों और अन्य मामलों की विस्तृत जांच करने के लिए न तो पर्याप्त समय है और न ही आवश्यक विशेषज्ञता।
इसलिए, संसद को इसके कर्तव्यों के प्रभारी समितियों की संख्या द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
ऐसी समितियों की संरचना, कार्य और कार्यकाल संसदीय नियमों द्वारा तय किए जाते हैं, तदनुसार, संसदीय समिति का अर्थ है एक समिति जो -

1. सदन द्वारा निर्वाचित या अध्यक्ष द्वारा मनोनीत है ।
2. अध्यक्ष या सभापति के निर्देशन में कार्य करें।
3. इसकी रिपोर्ट सदन या पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें।
4. समिति के लिए एक सचिवालय लोकसभा या राज्यसभा द्वारा प्रदान किया जाता है ।

❖ मोटे तौर पर संसदीय समितियाँ दो प्रकार की होती हैं -

1. स्थायी समिति - यह एक स्थायी समिति है और हर साल या समय-समय पर गठित होती है और निरंतर काम करती है।

2. तदर्थ समिति - ये अस्थायी समितियाँ होती हैं और विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त की जाती हैं, वे उन्हें सौंपे गए कार्य को पूरा करने और रिपोर्ट जमा करने के बाद अस्तित्व में नहीं रहती हैं।

स्थायी समिति
स्थायी समितियों की प्रकृति और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

1) वित्तीय समितियाँ

(i) लोक लेखा समिति (पीएसी) -
यह संसद की सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण समिति है।
- यह पहली बार 1921 में सरकार के प्रावधान के तहत हुआ था। भारत अधिनियम, 1919 का।
- इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से।
-लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। जबकि, राज्यसभा सदस्यों को सभापति द्वारा मनोनीत किया जाता है।
-सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष का होता है।

- इस समिति के सदस्य के रूप में कोई मंत्री निर्वाचित नहीं किया जा सकता है। यदि कोई सदस्य मंत्री बनता है तो उसे सदस्यता छोड़नी पड़ती है।

- समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति इसके सदस्यों में से स्पीकर द्वारा की जाती है। 1967 तक आयोग के अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल के होते थे। हालाँकि, 1967 के बाद से यह सम्मेलन विकसित किया गया है जिसके तहत समिति के अध्यक्ष को हमेशा विपक्ष से चुना जाता है।

कार्य

(i) CAG की वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की जांच करना।

(ii) यह जांचने के लिए कि जो धन वितरित किया गया है वह कानूनी रूप से उद्देश्य की लागू सेवाओं के लिए उपलब्ध था।

(iii) समिति न केवल कानूनी और औपचारिक दृष्टिकोण से बल्कि मितव्ययिता, ज्ञान, विवेक आदि की दृष्टि से सार्वजनिक व्यय की जांच करती है और बर्बादी, खोई, भ्रष्टाचार और अक्षमता के मामलों को सामने लाती है।

(iv) उपरोक्त कार्यों की पूर्ति में समिति को CAG द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसलिए, CAG पीएसी के मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक माने जाते हैं।

ii) <u>प्राक्कलन समिति</u>

(i) यह 30 सदस्यों वाली सबसे बड़ी संसदीय समिति है। एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार सभी लोकसभा से ही चुने जाते हैं।

(ii) सदस्य के कार्यालय की अवधि 1 वर्ष है।

(iii) मंत्री को इस समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं किया जा सकता है।

(iv) समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने सदस्यों में से की जाती है और वह निरपवाद रूप से सत्तारूढ़ दल से होता है।

(v) जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में पहली प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था और इसके पहले अध्यक्ष एम.ए. अयंगर थे।

(vi) इस समिति का मुख्य कार्य बजट में शामिल अनुमानों की जांच करना और सार्वजनिक व्यय में मितव्ययिता का सुझाव देना है। इसलिए, इसे 'सतत अर्थव्यवस्था समिति' के रूप में वर्णित किया गया है।

iii) **<u>सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति</u>**

यह समिति कृष्णा मेनन समिति की सिफारिशों पर 1964 में बनाई गई थी।

इसमें 22 सदस्य शामिल थे - 15 (लोकसभा से), 7 (राज्यसभा से) सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष।

कार्य

सार्वजनिक उपक्रम कंपनियों की रिपोर्ट और खातों की जांच करना। सार्वजनिक उपक्रमों पर सीएजी और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करना।

<u>संसद के बारे में अतिरिक्त तथ्य</u>

- ❑ संसद का सदस्य होने के लिए निरर्हता

1) यदि वह संघ या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर है। (राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लिया जाता है)

2) अगर वह अस्वस्थ दिमाग का है।

3) यदि वह दिवालिया घोषित हो जाता है।

4) यदि उसने विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है।

5) यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य है।

6) उसे किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया होना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप 2 या अधिक वर्षों के लिए कारावास। (लेकिन निवारक निरोध कानून के तहत किसी व्यक्ति की हिरासत अयोग्यता के अधीन नहीं है)।

7) दल-बदल के आधार पर निरर्हता।

संविधान यह भी निर्धारित करता है कि एक व्यक्ति को संसद सदस्य होने से अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि वह दसवीं अनुसूची के प्रावधान के तहत अयोग्य है।

a) यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है जिसके टिकट पर वह सदन के लिए चुना जाता है।

b) यदि वह अपने राजनीतिक दल या व्हिप द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करता है या मतदान से दूर रहता है।

c) यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है।

d) यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है।

नोट : 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के प्रश्न राज्यसभा के मामले में सभापति और लोकसभा के मामले में स्पीकर द्वारा तय किया जाता है।

सीटों का रिक्त होना - संसद का एक सदस्य निम्नलिखित शर्तों के तहत अपनी सीट खाली करता है -

1) **दोहरी सदस्यता –** एक व्यक्ति एक ही समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) के लिए निम्नलिखित शर्तें प्रदान करता है -

(i) यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर सूचित करना होगा कि वह किस सदन में सेवा करना चाहता है। ऐसी सूचना के व्यतिक्रम में राज्य सभा में उसकी सीट रिक्त हो जाती है।

(ii) यदि एक सदन का कोई वर्तमान सदस्य दूसरे सदन के लिए भी चुन लिया जाता है तो पहले सदन में उसकी सीट रिक्त हो जाती है।

(iii) यदि कोई व्यक्ति किसी सदन की दो सीटों के लिए चुना जाता है। उन्हें एक के लिए अपने विकल्प का प्रयोग करना चाहिए अन्यथा दोनों सीटें खाली हो जाती हैं

2) **इस्तीफा** - एक सदस्य राज्य के सभापति को अपनी सीट से इस्तीफा दे सकता है सभा या लोक सभा अध्यक्ष जैसा भी मामला हो।

3) **अनुपस्थिति** - किसी सदन के सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह उसकी अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि के लिए इसकी सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है।

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RACE)

<u>लोकसभा से जुड़े तथ्य</u>

पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था और इस लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ था।

प्रथम लोकसभा अध्यक्ष - जी वी मावलंकर।

पहला विभाग लोकसभा अध्यक्ष - अनंत कृष्णम अयंगर।

नोट: संसद के सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है 40 दिनों के पहले और बाद में किसी भी नागरिक मामले में किसी भी संसदीय बैठक की अवधि।

अनुच्छेद 100 - कोरम - संसदीय कार्यकाल में

कोरम का अर्थ है न्यूनतम संख्या। सदन के कारोबार को चलाने के लिए सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है।

- अनुच्छेद 100 के अनुसार कोरम प्रत्येक सदन की कुल संख्या का 1/10वां अध्यक्ष सहित होना चाहिए।

नोट: यदि बैठक के दौरान कोरम नहीं है
तो तो पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य है
बैठक को तब तक के लिए स्थगित कर दे जब तक कोरम न आ जाए।

संसद में विधायी प्रक्रिया

बिल

संसद में पेश विधेयक दो प्रकार के होते हैं

1. सरकारी विधेयक
2. निजी सदस्य विधेयक (प्राइवेट मेंबर बिल)

मंत्रियों द्वारा पेश किए जाने वाले बिल को सरकारी विधेयक के रूप में जाना जाता है।
निजी सदस्य विधेयक संसद के किसी अन्य सदस्य द्वारा पेश किए जाते हैं। दोनों एक ही सामान्य प्रक्रिया द्वारा शासित होते हैं और एक ही चरण से गुजरते हैं।

- ❖ प्रक्रिया के आधार पर विधेयकों को भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है-

1. साधारण विधेयक
2. धन विधेयक
3. वित्त विधेयक
4. संविधान संशोधन विधेयक

साधारण विधेयक - जो धन, वित्त और संविधान संशोधन विधेयक के अलावा किसी अन्य मामले से संबंधित हैं।

- संविधान ने सभी 4 प्रकार के विधेयकों के अधिनियमन के लिए अलग-अलग प्रक्रिया निर्धारित की है।
- क़ानून की किताब में जगह पाने से पहले साधारण विधेयक को संसद में निम्नलिखित 5 चरणों से गुजरना पड़ता है।

- पहला वाचन - इस चरण के तहत पूर्व सूचना के साथ संसद के किसी भी सदन में एक साधारण विधेयक पेश किया जा सकता है। ऐसा विधेयक मंत्री या किसी अन्य सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है।
- जो सदस्य विधेयक पेश करना चाहता है उसे सदन की अनुमति या अनुमति मांगनी पड़ती है और जब यह मंजूर हो जाता है तो विधेयक का प्रस्तावक कारण, शीर्षक और उद्देश्य को पढ़कर उसे पेश करता है। इस स्तर पर बिल पर कोई चर्चा नहीं होती है। बाद में, बिल भारत के राजपत्र में प्रकाशित होता है।

2रा वाचन – यह स्तर संवाद और विधेयक पर चर्चा के संबंध में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहां बिल विस्तृत जांच प्राप्त करता है और अंतिम रूप ग्रहण करता है। इस चरण में 3 और उप चरण शामिल हैं। -

स्टेज- I - सामान्य चर्चा का चरण

इस उप-चरण के तहत विधेयक की मुद्रित प्रतियां सभी सदस्यों को वितरित की जाती हैं। विधेयक के सिद्धांतों और इसके प्रावधानों पर आम तौर पर चर्चा की जाती है लेकिन विधेयक के विवरण पर चर्चा नहीं की जाती है।

चरण- II इस स्तर पर घर निम्नलिखित 4 क्रियाओं में से कोई एक कर सकता है –

पहली कार्रवाई - यह बिल को तुरंत या किसी अन्य निश्चित दिन पर विचार कर सकती है।

दूसरी कार्रवाई - यह चयन समिति को संदर्भित कर सकती है।

तीसरी कार्रवाई - यह विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को संदर्भित कर सकती है।

चौथी कार्रवाई - यह जनता की राय जानने के लिए विधेयक को परिचालित कर सकती है।

चरण- III - विचार चरण

प्रवर समिति से विधेयक प्राप्त करने के बाद सदन विधेयक के प्रावधानों पर खंडवार विचार करता है और प्रत्येक खंड पर अलग से चर्चा और मतदान किया जाता है। सदस्य संशोधन भी पेश कर सकते हैं और यदि स्वीकृत हो जाते हैं तो वे विधेयक का हिस्सा बन जाते हैं।

तीसरा वाचन - तीसरा चरण विधेयक को पारित करने का अंतिम चरण है इस स्तर पर बहस बिल को समग्र रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने तक ही सीमित है और भाषा सुधार के अलावा किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं है।

- यदि उपस्थित सदस्यों के बहुमत और मतदाताओं ने विधेयक को स्वीकार कर लिया तो विधेयक को सदन द्वारा पारित माना जाता है।
- तत्पश्चात, विधेयक को सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाता है और दूसरे सदन को विचार और अनुमोदन के लिए प्रेषित किया जाता है।

चौथा - पढ़ना - दूसरे घर में बिल

दूसरे सदन में बिल फिर से सभी 3 चरणों यानी पहली, दूसरी और तीसरी रीडिंग से गुजरता है। उसके बाद दूसरे भाव के सामने 4 विकल्प होंगे –

1) यह प्रथम सदन द्वारा भेजे गए बिल को बिना किसी संशोधन के पारित कर सकता है।

2) यह विधेयक को संशोधनों के साथ पारित कर सकता है और इसे पुनर्विचार के लिए पहले सदन में लौटा सकता है।

3) यह बिल को पूरी तरह से खारिज कर सकता है।

4) यह कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है और इस प्रकार बिल को लंबित रखता है।

यदि दूसरा सदन बिना किसी संशोधन के विधेयक को पारित कर देता है या पहला सदन दूसरे सदन द्वारा सुझाए गए संशोधनों को स्वीकार कर लेता है तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है और उसे राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जाता है। लेकिन दूसरी ओर, यदि पहला सदन दूसरे सदन द्वारा सुझाए गए संशोधनों को खारिज कर देता है या दूसरा सदन बिल को पूरी तरह से खारिज कर देता है या दूसरा सदन 6 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं करता है तो गतिरोध होता है और इस तरह के समाधान के लिए माना जाता है गतिरोध राष्ट्रपति विधेयक पर संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। (अनुच्छेद-108)

5वीं-राष्ट्रपति की स्वीकृति (अनुच्छेद-111)

संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है और अनुच्छेद-111 के तहत राष्ट्रपति के समक्ष 3 विकल्प होते हैं –

1) वह विधेयक को अपनी सहमति दे सकता है जिसके बाद विधेयक अधिनियम बन जाता है।

2) वह विधेयक पर अपनी सहमति रख सकता है।

3) वह विधेयक को सदन के पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है।

धन विधेयक

अनुच्छेद-110: एक विधेयक को धन विधेयक माना जाता है यदि इसमें **केवल** निम्नलिखित मामलों में से सभी या किसी से संबंधित प्रावधान शामिल हैं -

1. किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, परिहार या परिवर्तन।
2. संघ सरकार द्वारा पैसे उधार लेने का विनियमन।
3. भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि या लोक खाते में धन का भुगतान या निकासी या इन निधियों की अभिरक्षा से संबंधित कोई प्रावधान।
4. भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग।
5. प्रभारित किसी व्यय की घोषणा

भारत की संचित निधि पर या राशि में वृद्धि
किसी व्यय का। उदा. - राष्ट्रपति का वेतन।

- अनुच्छेद-110 (2) के अनुसार, किसी विधेयक को केवल इस कारण से धन विधेयक नहीं माना जाएगा कि इसमें प्रावधान है –

1. यदि यह जुर्माना या अन्य सामान्य दंड लगाने से संबंधित है।
2. यदि यह लाइसेंस के लिए शुल्क के भुगतान या किसी अन्य सेवाओं के लिए शुल्क से संबंधित है।
3. स्थानीय उद्देश्यों के लिए किसी भी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी भी कर को लागू करना, समाप्त करना, छूट देना, बदलना या नियमन करना।

- **अनुच्छेद** 110 (3) - लोकसभा अध्यक्ष के पास यह निर्णय लेने की निर्विवाद शक्तियां हैं कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इस संबंध में उनके निर्णय पर किसी भी न्यायालय या संसद के किसी भी सदन या यहां तक कि राष्ट्रपति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

अनुच्छेद 109 - **संविधान संसद में धन विधेयक पारित करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित करता है।**

1) धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है।

2) प्रत्येक धन विधेयक एक **सरकारी बिल** है ।

3) लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित होने के बाद, इसे लोकसभा अध्यक्ष के प्रमाणीकरण के साथ राज्यसभा में प्रेषित किया जाता है।

4) धन विधेयक के संबंध में राज्य सभा के पास सीमित अधिकार हैं। यह धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकता है। लेकिन केवल सिफारिश ही कर सकता है।

- इसे 14 दिनों के भीतर सिफारिश के साथ या बिना सिफारिश के बिल को लोकसभा में वापस करना होगा। लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।
- यदि लोकसभा किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो विधेयक को संशोधित रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है।

यदि लोकसभा किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तो विधेयक को बिना किसी बदलाव के मूल रूप से लोकसभा द्वारा पारित रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है।

- यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर बिल वापस नहीं करती है तो बिल को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है।

5) अंत में, जब धन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो वह या तो विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है या विधेयक पर अपनी सहमति को रोक कर रख सकता है लेकिन संसद के दोनों सदनों के पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस नहीं कर सकता है।

वित्त विधेयक

- वित्त विधेयक वे विधेयक होते हैं जो राजकोषीय मामलों जैसे राजस्व या व्यय से संबंधित होते हैं। यह 3 प्रकार का होता है-

1. धन विधेयक (अनुच्छेद-110)
2. वित्त विधेयक-I [अनुच्छेद 117(1)]
3. वित्त विधेयक-II [अनुच्छेद 117(3)]

इसका तात्पर्य यह है कि सभी धन विधेयक, वित्त विधेयक होते हैं। लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। केवल वे वित्तीय विधेयक ही धन विधेयक होते हैं जिनमें विशेष रूप से वे मामले शामिल होते हैं जिनका उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है। दूसरी ओर वित्तीय विधेयक-I और II अनुच्छेद-117 से संबंधित हैं।

- ❑ **अनुच्छेद** 117 (1) - **वित्तीय विधेयक (टाइप- I)**
  - एक वित्तीय विधेयक-I एक ऐसा विधेयक है जिसमें अनुच्छेद-110 में उल्लिखित कोई या सभी मामले ही नहीं बल्कि **सामान्य कानून के अन्य मामले भी** शामिल हैं।
  - दो प्रकार से वित्तीय विधेयक प्रकार-I धन विधेयक के समान है।
  - 1) दोनों को सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।
  - 2) दोनों को राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है।
  - इन दो शर्तों के अलावा वित्त विधेयक-I सामान्य विधेयक पर लागू समान विधायी प्रक्रिया द्वारा शासित होता है। इसलिए इसे राज्यसभा द्वारा या तो अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है।

- ❑ **अनुच्छेद** 117 (3) - **वित्तीय विधेयक (प्रकार - II)** एक वित्तीय विधेयक प्रकार - II में भारत के समेकित कोष से व्यय से जुड़े प्रावधान शामिल हैं, लेकिन इसमें अनुच्छेद -110 में वर्णित किसी भी मामले को शामिल नहीं किया गया है।

(अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम के लिए धन, किसी अन्य राष्ट्र को दिया जाने वाला धन।) इसे एक साधारण विधेयक के रूप में माना जाता है और सभी मामलों में यह उसी विधायी प्रक्रिया द्वारा शासित होता है जो साधारण विधेयक पर लागू होता है।

उच्चतम न्यायालय
(यतो धर्मस्ततो जयः)

❑ **संगठन**

- वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश होते हैं। (33+1)
- 2019 में यह संख्या 30 से बढ़ाकर 33 कर दी गई।

❑ **शपथ/प्रतिज्ञान: (दूसरी अनुसूची)**

- राष्ट्रपति द्वारा।
- भारत के संविधान द्वारा स्थापित कानून के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखना, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना और ईमानदारी, अपनी सर्वोत्तम क्षमता और ज्ञान से बिना भय या पक्षपात, स्नेह या बैर के निर्णय करना ।

❑ **वेतन और भत्ते (तीसरी अनुसूची)**

- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार और पेंशन समय-समय पर संसद द्वारा निर्धारित की जाती है।
- उनकी नियुक्ति के बाद वित्तीय आपातकाल के अलावा उनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। (कार्यकाल की सुरक्षा)
- भारत की संचित निधि पर प्रभारित किया जाएगा।

<u>सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यालय की अवधि</u>

संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया है लेकिन –

1) वह 65 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकता है।

2) वह राष्ट्रपति को अपना त्याग-पत्र दे सकता है।

3) उसे संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है।

न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया

□ एक न्यायाधीश को उसके कार्यालय से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

□ उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश को उसके कार्यालय से केवल दो आधारों पर हटाया जा सकता है –

1) प्रमाणित कदाचार या

2) अक्षमता

□ हटाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए (सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत)

□ संसद के अभिभाषण के बाद ही राष्ट्रपति निष्कासन आदेश जारी कर सकता है उसे हटाने के लिए उसी सत्र में प्रस्तुत किया गया है।

यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को निम्नानुसार नियंत्रित करता है –

1) निष्कासन प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है लेकिन इसके लिए 100 लोकसभा सदस्यों या 50 राज्यसभा सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है।

2) स्पीकर या सभापति प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं या इसे स्वीकार करने से मना कर सकते हैं।

3) यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो अध्यक्ष या अध्यक्ष न्यायाधीश समिति पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन करेंगे जिसमें शामिल होंगे –

(i) भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश।

(ii) (ii) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।

(iii) एक प्रतिष्ठित न्यायविद।

□ यदि समिति न्यायाधीश को दोषी पाती है तो सदन निष्कासन प्रस्ताव पर विचार कर सकता है।

4) संसद के प्रत्येक सदन द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। (संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है)।

□ **उच्चतम न्यायालय की सीट**

संविधान दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय की सीट के रूप में घोषित करता है, लेकिन यह भारत के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय की सीट के रूप में अन्य स्थान या स्थानों को नियुक्त करने के लिए भी अधिकृत करता है।

□ **न्यायिक समीक्षा की शक्ति (अनुच्छेद 13)**

न्यायिक समीक्षा एससी की विधायी और कार्यकारी कार्रवाई की जांच करने की शक्ति है, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या ऐसे कार्य संविधान के अनुरूप हैं या नहीं। जिन कार्रवाइयों को असंगत माना जाता है उन्हें असंवैधानिक घोषित किया जाता है और इसलिए अशक्त और शून्य।

□ **रिकॉर्ड का न्यायालय**

अनुच्छेद-129 के तहत, SC उसके रूप में अभिलेख न्यायालय होगा।

1. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को अभिलेख के रूप में दर्ज किया जाता है, और निर्णयों को कानून के रूप में माना जाता है। इन अभिलेखों को अंतिम साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है।

2. इसके पास न केवल खुद की बल्कि उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ अदालतों और न्यायाधिकरणों की भी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है।

न्यायपालिका (कॉलेजियम बनाम एनजेएसी)

भारत का संविधान एक स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायिक प्रणाली प्रदान करता है। (अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों और कार्यों के पृथक्करण का प्रावधान करता है।)

भारत में न्यायपालिका संविधान के संरक्षक और लोगों के मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करती है।

भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं में से एक यह है कि यद्यपि भारत ने संघीय प्रणाली को अपनाया है, यह एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली प्रदान करता है।

सर्वोच्च न्यायालय भारत के न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित और चलाता है। भारत की सभी अदालतें एक ही न्यायिक प्रणाली की कड़ी हैं।

सर्वोच्च न्यायालय भारतीय न्यायिक प्रणाली के शिखर पर स्थित है जिसके नीचे प्रत्येक राज्य या राज्यों के समूह में उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालयों के नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं-जिला और महानगरीय न्यायालय।

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। इसने भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत, 1937 में अस्तित्व में आई संघीय अदालत का स्थान लिया ।
- ब्रिटिश भारत (भारत) का पहला एचसी 2 जुलाई 1862 को कोलकाता में स्थापित किया गया था, दूसरा बंबई था और तीसरा मद्रास था।
- संविधान के भाग-V में अनुच्छेद 124-147 सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों, प्रक्रियाओं आदि से संबंधित है।
- संसद उन्हें विनियमित करने के लिए अधिकृत है।
- अनुच्छेद-124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद की जाती है, जैसा वह आवश्यक समझता है।
- अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे अन्य न्यायाधीशों के परामर्श के बाद की जाती है, जैसा कि वह आवश्यक समझता है।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श अनिवार्य है।

RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of RACE)

- **न्यायाधीशों की योग्यता**
- 1. वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
- 2. उसे लगातार 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए था।
- 3. उसे लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए था।
- 4. उन्हें राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को अगला सीजेआई बनाने की सिफारिश करेंगे।
- 1973 में प्रसिद्ध केशवानंद भारती केस के बाद, इंदिरा गांधी सरकार। न्यायमूर्ति ए.एन. रे को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया, 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को पछाड़ते हुए। इससे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव पैदा होता है।

एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1982 (प्रथम न्यायाधीश मामले) : निर्णय - परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है। इसलिए, राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिए गए सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। (सिफारिश की कोई प्रधानता नहीं)

दूसरा न्यायाधीश मामला (1993) :

निर्णय - परामर्श का अर्थ है सहमति। इसलिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपने दो सबसे वरिष्ठ सहयोगियों के साथ परामर्श करना पड़ता है। (सिफारिश की प्रधानता)

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया कि वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

इससे भारत में कोलेजियम सिस्टेम का जन्म हुआ।

कॉलेजियम - भारत के मुख्य न्यायाधीश 2 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश।

तीसरे न्यायाधीश मामले (1998) : निर्णय - बहुसंख्यक न्यायाधीशों का परामर्श। कॉलेजियम - भारत के मुख्य न्यायाधीश + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश।

- कॉलेजियम में 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं।

यह प्रणाली 1993 से यानी 2 जजों के मामलों के फैसले के बाद से ट्रेंड सिस्टम में है। लेकिन 1998 से 3 जजों के मामलों के बाद यह और अधिक प्रभावी हो गया।

कॉलेजियम प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति/प्रोन्नति/न्यायाधीशों का स्थानांतरण या तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक मंच द्वारा तय किया जाता है। नोट: कोलेजियम सिस्टम का मूल संविधान में और न ही क्रमिक संशोधनों में उल्लेख किया गया है।

- एनजेएसी प्रस्तावित निकाय था जो भारत में उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होता। यह आयोग 99 वें सीएए, 2014 के माध्यम से भारत के संविधान में संशोधन करके स्थापित किया गया था जिसमें एक नया अनुच्छेद - 124 (ए) जोड़ा गया था।
- **NJAC की संरचना [अनुच्छेद-124 (A)]**

NJAC में निम्नलिखित 6 सदस्य शामिल होंगे -

1. भारत के मुख्य न्यायाधीश (अध्यक्ष, पदेन)।
2. भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद सर्वोच्च न्यायालय के दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश।
3. केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री।
4. दो प्रतिष्ठित व्यक्ति। (भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधान मंत्री और लोक सभा या सचेतक में विपक्ष के नेता की समिति द्वारा मनोनीत किया जाना)।

- 6 अक्टूबर 2015 को, SC की संवैधानिक पीठ ने 4:1 बहुमत से कॉलेजियम प्रणाली को बरकरार रखा और NJAC को असंवैधानिक करार दिया और इस तरह 99वें CAA 2014 में NJAC को निरस्त कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ

संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय पर बहुत व्यापक क्षेत्राधिकार और विशाल शक्ति की पुष्टि की है।

- यह संविधान का अंतिम व्याख्याता और संरक्षक भी है नागरिक के मौलिक अधिकारों संरक्षक भी है

- इसके अलावा इसमें सलाहकार और पर्यवेक्षी शक्ति है।

- इसके निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं और हैं पूरे देश में लागू करने योग्य।

- इसके पिछले निर्णय स्वयं पर बाध्यकारी नहीं हैं, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति है।

- उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को वापस लेने के लिए अधिकृत है और या तो उन्हें स्वयं निपटाने के लिए या अन्य उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत है।

1. मूल अधिकारिता (अनुच्छेद-131) -

यह सर्वोच्च न्यायालय का एक विशेष क्षेत्राधिकार है, जिसे प्राथमिक क्षेत्राधिकार के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। SC के इस क्षेत्राधिकार के तहत उन मामलों का विस्तार होता है, जिन पर उसे प्रथम दृष्टया सुनवाई और निर्णय लेने का अधिकार है। इस अधिकार क्षेत्र के तहत SC एक संघीय अदालत के रूप में कार्य करता है। - यह सीधे विशेष प्रकार के मामलों की सुनवाई कर सकता है जिसकी सुनवाई किसी अन्य न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती जैसे-

(i) भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्य सरकार के बीच विवाद।

(ii) एक तरफ भारत और एक या एक से अधिक राज्य और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य सरकार के बीच विवाद ।

(iii) दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद।

सर्वोच्च न्यायालय का यह अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित मामलों विस्तृत नहीं है -

(i) किसी भी पूर्व-संवैधानिक संधि, समझौते या अन्य समान उपकरण से उत्पन्न विवाद जो संचालन में जारी है।

(ii) अंतर्राज्यीय जल विवाद। (अनुच्छेद-262)

(iii) वित्त आयोग को संदर्भित मामले। (कला-280)

(iii) केंद्र और राज्य के बीच साधारण व्यावसायिक विवाद।

2. रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 32) -

यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) दोनों का समवर्ती क्षेत्राधिकार है। इसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित मामले शामिल हैं।हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार में अंतर है। SC केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है लेकिन उच्च न्यायालय अन्य उद्देश्यों के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं।

इसका अर्थ है कि उच्च न्यायालय का विषयवस्तु रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है।

जबकि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्रीय अधिकार व्यापक है क्योंकि यह पूरे भारत में फैला हुआ है।

अनु 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के लिए मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक रिट याचिका पर विचार करना अनिवार्य है, जबकि HC मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों को लागू कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसके बजाय यह कुछ अन्य कानूनी उपाय सुझा सकता है या प्रवर्तन से इनकार भी कर सकता है।

इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षक है न कि उच्च न्यायालय।

3.अपीलीय क्षेत्राधिकार

अपीलीय क्षेत्राधिकार का अर्थ निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील सुनने और निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालयों की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है जहां वह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की सुनवाई करता है और यह इसे अपील का सर्वोच्च और अंतिम न्यायालय बनाता है।

अपील को 4 शीर्षकों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है -

a) संवैधानिक मामले में अपील [अनुच्छेद-132] - संविधान की विभिन्न व्याख्याओं से उत्पन्न एक संवैधानिक मामला मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों के रूप में माना जाता है। ऐसे संवैधानिक मामलों में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है जिसके लिए संविधान की व्याख्या की आवश्यकता है।

इस प्रकार के मामलों की सुनवाई केवल संवैधानिक पीठ ही कर सकती है और इसके लिए अनुच्छेद-145(3) के तहत उच्चतम न्यायालय के कम से कम 5 न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है।

b) दीवानी मामलों में अपील (अनुच्छेद-133)

संपत्ति, विवाह, धन, अनुबंध और सेवा से संबंधित विवाद को दीवानी मामले कहा जाता है। दीवानी मामलों में, उच्च न्यायालय के किसी भी फैसले से सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

c) आपराधिक मामलों में अपील [अनुच्छेद-134]

आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है।

d)विशेष अनुमति याचिका [अनुच्छेद-136]

यह सर्वोच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है।

विशेष अनुमति याचिका का अर्थ है कि आप किसी उच्च न्यायालय या न्यायाधिकरण के अंतिम या अंतर्वर्ती निर्णय के खिलाफ अपील में सुनवाई के लिए विशेष अनुमति लेते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट की एक असाधारण शक्ति है और इसलिए इसे बहुत सावधानी से प्रयोग किया जाता है।

4.सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद-143)

इसे परामर्शी क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है। संविधान राष्ट्रपति को मामले की दो श्रेणियों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है-

i) कानून या सार्वजनिक महत्व के तथ्य के किसी भी प्रश्न पर

जो उत्पन्न हो या जिसके उत्पन्न होने की सम्भावना हो। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी राय दे सकता है या मना कर सकता है।

ii) किसी पूर्व-संवैधानिक संधि से उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले पर,समझौता, अनुबंध या अन्य समान उपकरण। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को अपनी राय देनी चाहिए।

5.न्यायिक समीक्षा की शक्ति (अनुच्छेद 13)

न्यायिक समीक्षा विधायी की जांच करने के लिए SC की शक्ति है और कार्यकारी कार्रवाई यह निर्धारित करने के लिए कि क्या ऐसे कार्य संविधान के अनुरूप हैं या नहीं। जिन कार्रवाइयों को असंगत माना जाता है उन्हें असंवैधानिक घोषित किया जाता है और इसलिए अशक्त और शून्य।

न्यायिक पुनरावलोकन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ती है-

i) संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए।

ii) केंद्र और के बीच संघीय संतुलन बनाए रखने के लिए

राज्यों।

iii) नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए।

जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता

जनहित याचिका (पीआईएल) का अर्थ है 'जनहित' में मुकदमा।

जनहित याचिका के मामले में अदालत (लोकस स्टैंडी) में उपस्थित होने का अधिकार या क्षमता उदार की गयी है, जहां कोई भी सार्वजनिक संगठन या लोकहितवादी व्यक्ति अदालत से संपर्क कर सकता है।

यहां तक कि अदालत को भेजे गए पोस्ट कार्ड को भी जनहित याचिका माना जा सकता है।

PIL से मौलिक अधिकार का दायरा काफी बढ़ गया है।

❑ **इसने निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने में मदद की:**

i) इसने लोगों में उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा की है और उनकी सुरक्षा में न्यायपालिका की भूमिका को बढ़ाया है।

ii) इसने मौलिक अधिकारों के दायरे को बढ़ा दिया है

उदार व्याख्या प्रदान की और विधायिका और कार्यपालिका को नियंत्रित करने में मदद की।

iii) इसने विधायिका और कार्यपालिका को लोगों के प्रति अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए मजबूर किया है।

iv) जनहित याचिका के माध्यम से न्यायपालिका ने एक प्रयास किया है एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और एक रहने योग्य वातावरण प्रदान करने का ।

❑ **जनहित याचिका की आलोचना**

जनहित याचिका की अक्सर इस आधार पर आलोचना की जाती है कि यह है कोर्ट के सामान्य कामकाज में बाधा डालता है और कानूनी व्यवस्था का गला घोंट डालता है।

इसके दुरुपयोग और झूठे मुकदमेबाजी के कारण इसका अक्सर मज़ाक उड़ाया जाता है - निजी हित याचिका, पैसा हित मुकदमा, राजनीतिक हित मुकदमेबाजी आदि के रूप में ।

❖ **फालतू जनहित याचिकाओं के खिलाफ सुरक्षा**

सुप्रीम कोर्ट ने इसके दुरुपयोग को नियंत्रित करने नए नियम बनाए हैं । SC ने अब स्थापित किया है कि दुरुपयोग के मामले में अदालत को अनुकरणीय जुर्माना लगाने की शक्ति है।

इसके अलावा जनहित याचिका दायर करने वाले व्यक्ति को प्रथम दृष्टया मामला न्यायालय के समक्ष स्थापित करना होगा और सबूत भार उस व्यक्ति पर होता है।

कोर्ट ने जनहित याचिका की जांच करने के लिए स्क्रीनिंग समितियाँ (वकीलों की और व्यक्तियों) की नियुक्ति भी शुरू कर दी है ।

❑ जनहित याचिकाओं की अस्वीकृति के लिए आधार

i) जब जनहित याचिका के निजी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लाया जाता है ।

ii) अगर जनहित याचिका लाने वाला पक्ष या याचिका प्रकृति में तुच्छ अथवा झूठे है ।

iii) यदि याचिकाकर्ता प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में विफल रहता है।

❑ कुछ प्रसिद्ध पीआईएल हैं

1) एम सी मेहता बनाम भारत संघ, 1986

2) एम सी मेहता बनाम भारत संघ, 1988

3) एम सी मेहता बनाम भारत संघ, 1991

4) परमानंद कटारा बनाम भारत संघ

5) डीके बसु बनाम भारत संघ

- यह सरकार के अन्य अंग को सौंपे गए संवैधानिक कार्य के निर्वहन के लिए लिए मजबूर करता है ।

इसने लोकतंत्र की ताकत को मजबूत करने में मदद की है और विधि के शासन में लोगों के विश्वास की पुष्टि करता है।

- यह गैरजिम्मेदार प्रशासन, संवेदनहीनता और जन- कल्याण व विकास की उपेक्षा कर रही विधायिका या कार्यपालिका पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का प्रमुख सूत्रधार है।
- न्यायिक सक्रियता अन्य दो अंगों के कार्यों में बहुत अधिक हस्तक्षेप से न्यायिक अतिवादिता हो जाती है।इसलिए यह अल्पावधि में ही एक स्वागत योग्य उपाय है। अगर यह लंबे समय तक किया जाता है तो यह शक्ति पृथक्करण की अवधारणा को नष्ट कर देगा।
- सरकार का कोई अंग अत्याधिक शक्तियां, बिना पर्याप्त जिम्मेदारी के ग्रहण नहीं करेगा
- न्यायाधीशों के लिए आत्म संयम संहिता विकसित करना, सक्रियतावाद को अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल करना।

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RACE)

<u>भाग VI राज्य</u>

(अनुच्छेद 152-237)

अनुच्छेद 152 - राज्य की परिभाषा - भारत का संविधान राज्यों में सरकार के उसी पैटर्न की परिकल्पना करता है जो केंद्र यानी संसदीय सरकार के लिए है।

संविधान का भाग-VI सरकार से संबंधित है। राज्यों में (जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए लागू नहीं था, जिसे अनुच्छेद-370 के तहत एक विशेष दर्जा प्राप्त था और जिसका अपना एक अलग संविधान था।

*[31 अक्टूबर, 2019 से अनुच्छेद-370 का प्रभाव समाप्त हो गया है।]

विशेष दर्जा - संवैधानिक प्रावधान-अनुच्छेद-371, - संसद 2/3 बहुमत - विशेष दर्जे वाले राज्यों की संख्या - 9

विशेष श्रेणी की स्थिति - राष्ट्रीय विकास परिषद - विशेष श्रेणी की स्थिति वाले राज्यों की संख्या - 10

नोट: विशेष स्थिति और विशेष श्रेणी की स्थिति के बीच बहुत बड़ा अंतर है।

संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान द्वारा विशेष स्थिति की गारंटी दी जाती है, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा विशेष श्रेणी की स्थिति की गारंटी दी जाती है।

कई अन्य राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है और कुछ विशेष प्रावधान उनमें से प्रत्येक के लिए अलग से लागू होते हैं।

उदा. – 1) महाराष्ट्र और गुजरात राज्य (अनुच्छेद-371)।

2)नागालैंड (अनुच्छेद-371-ए)

3)असम (कला-371-बी)

4)मणिपुर (कला-371-सी)

5)आंध्र प्रदेश (अनुच्छेद-371-डी और ई दोनों)

6) सिक्किम (अनुच्छेद-371-एफ) 7) मिजोरम (अनुच्छेद-371-जी)

8) अरुणाचल प्रदेश (अनुच्छेद-371-एच)

9) गोवा (अनुच्छेद-371-I)

विशेष दर्जा विधायी और राजनीतिक अधिकारों को सशक्त बनाता है। जबकि विशेष श्रेणी का दर्जा केवल आर्थिक, प्रशासनिक और वित्तीय पहलुओं से संबंधित है।

विशेष श्रेणी के राज्यों की अवधारणा को पहली बार 1969 में पेश किया गया था, जब 5वें वित्त आयोग ने केंद्रीय सहायता और टैक्स ब्रेक के रूप में तरजीही उपचार के साथ कुछ नुकसान वाले राज्यों को प्रदान करने की मांग की थी।

कुछ मापदंडों के आधार पर राज्यों को दिया गया विशेष दर्जा

1. पहाड़ी और कठिन इलाका
2. कम संसाधन आधार।
3. जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा
4. कम जनसंख्या घनत्व और
5. शत्रुतापूर्ण स्थान

RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(An Unit of RAO'S)

राज्यपाल

अनुच्छेद 153 - प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा लेकिन 7वां सीएए, 1956 कहता है कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

अनुच्छेद 154 - राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और उनके द्वारा मंत्रिपरिषद के अनुसार प्रयोग किया जाएगा। राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। इसलिए, एक राज्यपाल के कार्यालय की दोहरी भूमिका होती है।

अनुच्छेद 155 - योग्यता

1. व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए।

(नोट: राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में दो परंपराएं हैं। 1. वह उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया गया है।

2. राज्यपाल की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को राज्य के मुख्यमंत्री की सहमति की आवश्यकता होती है।)

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

नियुक्ति - भारत के राष्ट्रपति द्वारा।

त्यागपत्र - भारत के राष्ट्रपति को।

कार्यकाल - राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं।

राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

शपथ - राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या उनकी अनुपस्थिति में, या उस उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा।

सरकारिया आयोग (1983) - आयोग की स्थापना 1983 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। केंद्र राज्य संबंध की जांच करना।

अध्यक्ष – **रणजीत सिंह सरकारिया।**

राज्यपाल की नियुक्ति पर अनुशंसा-

1. व्यक्ति को प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए।

2. राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए।

3. नियुक्ति से पहले कम से कम कुछ समय के लिए सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लिया हो।

4. उसे संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श से नियुक्त किया जाना चाहिए।

शक्तियां और कार्य

एक राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति के समान कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। लेकिन उसके पास राष्ट्रपति की तरह कोई कूटनीतिक, सैन्य या आपातकालीन शक्तियाँ नहीं हैं। वह मुख्य रूप से दो कार्य करता है:

i) राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में।

ii) राज्य में केंद्र के एजेंट के रूप में।

1) **कार्यकारी शक्तियाँ**

(i) सभी कार्यकारी कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की जानी है।

(ii) वह मुख्यमंत्री की सलाह पर मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वे **राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत** तक पद धारण करते हैं।

(iii) वह जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति करता है जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण का प्रभारी भी हो सकता है (अनुच्छेद - 164-1)।

(iv) वह राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है और उसकी सेवा की शर्तें और कार्यकाल भी निर्धारित करता है। हालाँकि, उसे केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में और उसी आधार पर हटाया जा सकता है।

(v) वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति द्वारा किए गए संदर्भ पर सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है।

(vi) वह महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है।

(vii) राज्यपाल राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है। अतः वह राज्यों के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति भी करता है।

2) विधायी शक्तियाँ

(i) वह राज्य विधानमंडल को आहूत और सत्रावसान कर सकता है और राज्य विधान सभा को भंग कर सकता है

(ii) वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राज्य विधानमंडल को संबोधित करता है।

(iii) वह साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवाओं और सहकारी क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों के बीच विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नामांकित करता है।- अनु 171(5)

*(iv) वह एंग्लो इंडियन समुदाय (अनुच्छेद-333) से राज्य विधानसभा में एक सदस्य को नामांकित कर सकता है। 104 वें संशोधन अधिनियम 2021 के बाद निरस्त।

(v) वह राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न का निर्णय करता है लेकिन चुनाव आयोग के परामर्श से।

(vi) जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष उनकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो अनुच्छेद-200 के अंतर्गत उनके पास 4 विकल्प होते हैं।]

विधेयक पर अपनी सहमति दें, या

अपनी सहमति के साथ नहीं दें, या

धन विधेयक के मामले को छोड़कर, वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है।

वह राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित कर सकता है।

(vii) अनुच्छेद-213 के तहत, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है जब राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं है।

अध्यादेश को राज्य विधानसभा द्वारा इसके पुनः विधानसभा से 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए।

3) वित्तीय शक्तियाँ

(i) वह राज्य विधानमंडल के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण (राज्य बजट) प्रस्तुत करता है।

(ii) राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता।

(iii) वह किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम दे सकता है।

(iv) वह पंचायत और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन करता है।

4) न्यायिक शक्तियाँ

i) वह किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, उसे रोक सकता है, राहत दे सकता है या सजा से छूट दे सकता है या सजा को निलंबित या कम कर सकता है। लेकिन राज्यपाल मौत की सजा और कोर्ट मार्शल द्वारा दंड को माफ नहीं कर सकता है।

ii) संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति उनसे परामर्श लेते हैं।

iii) वह उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियां, पोस्टिंग और पदोन्नति करता है।

iv) वह एचसी और राज्य पीएससी के परामर्श से राज्य के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।

विवेकाधीन शक्तियाँ

कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ राज्यपाल को अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ सकता है।

(i) नए मुख्यमंत्री की ऐसी स्थिति में नियुक्ति जहां किसी एक दल या नेता को बहुमत का समर्थन प्राप्त न हो।

(ii) बहुमत समर्थन खोने के बाद भी इस्तीफा देने से इनकार करने पर या अविश्वास प्रस्ताव में पराजित होने के बाद किसी मंत्रालय को खारिज करना।

(iii) छठी अनुसूची के तहत असम के जनजातीय क्षेत्रों के मामले में जिला परिषदों को खनिज लाइसेंस के लिए रॉयल्टी का निर्धारण।

(iv) राष्ट्रपति शासन लगाने में संविधान तंत्र की विफलता के बारे में राष्ट्रपति को सलाह देना। (अनुच्छेद 356)

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को पत्र लिखकर वित्त मंत्री के एन बालगोपाल के खिलाफ "संवैधानिक रूप से उचित कार्रवाई" करने के लिए कहा, खान के अनुसार, उन्होंने पद की शपथ का उल्लंघन किया है और भारत की एकता और अखंडता को कमजोर किया है।

राज्यपाल ने लिखा, "बालागोपाल ने राज्यपाल का प्रसाद खो दिया है"

राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत

इस प्रावधान का मतलब यह नहीं है कि राज्यपाल के पास किसी मंत्री को बर्खास्त करने की शक्ति है। गणतंत्र के इतिहास में अब तक ऐसा कोई अवसर नहीं आया है जब किसी राज्यपाल ने एकतरफा रूप से किसी मंत्री को सरकार से हटाया हो।

सुभाष कश्यप के अनुसार - "जब मंत्रिमंडल ने विधान सभा में बहुमत खो दिया हो तो प्रसाद नहीं रहेगा, राज्यपाल अपने प्रसाद का प्रयोग उसे खारिज करने के लिए करेगा।"

राज्यपाल के विवेक अधिकार

शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1974 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कहा कि-

"हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है इसलिए राज्यपाल नाममात्र का मुखिया होता है जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा।

त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में ही विवेकाधीन शक्ति का विस्तार होता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **नबाम रेबिया मामले (2016)** में फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 163 राज्यपाल का विवेक असाधारण नहीं है, यह सीमित है और विवेक का प्रयोग मनमाना नहीं होना चाहिए । यह एक ऐसा विकल्प होना चाहिए जो तर्क द्वारा निर्धारित हो, सद्भाव से संचालित हो और सावधानी से संयमित हो।

एनसीटी दिल्ली बनाम भारत संघ, 2017 - निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास वास्तविक शक्तियाँ होंगी।

राष्ट्रपति निर्वाचित होता है जबकि राज्यपाल मनोनीत होता है।

(ii) राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है जबकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।

(iii) धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास दो विकल्प होते हैं अर्थात् अपनी सहमति देना या रोकना। जबकि राज्यपाल के पास 3 विकल्प होते हैं यानी अपनी सहमति देना या रोकना या वह राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित कर सकता है।

साधारण विधेयक के विषय में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं, अर्थात। - अपनी सहमति देना या रोकना या विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना। जबकि राज्यपाल के पास उपरोक्त तीन के अलावा एक और विकल्प है, यानी वह राष्ट्रपति के लिए विधेयक को आरक्षित कर सकता है।

(v) दोनों अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन कुछ विषयों के तहत राज्यपाल को राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश जारी करने से रोक दिया जाता है।

यदि कुछ प्रावधानों वाले बिल को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती।

यदि समान प्रावधानों वाले विधेयक को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर दिया गया होता।

(vi) क्षमादान की शक्तियों के संबंध में, राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, रोक सकता है, राहत दे सकता है, हटा सकता है, निलंबित कर सकता है या कम कर सकता है। वह मौत की सजा माफ करने का एकमात्र अधिकार है।

दूसरी ओर राज्यपाल मौत की सजा को क्षमा नहीं कर सकता है लेकिन कुछ हद तक इसे निलंबित कर सकता है और वह कोर्ट मार्शल की सजा को माफ नहीं कर सकता है।

संसदीय सरकार में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य मंत्रिपरिषद एक वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी के रूप में कार्य करती हैं।

- राज्य में मंत्रिपरिषद, केंद्र में मंत्रिपरिषद की एक प्रतिकृति है। वे प्रशासन के गठन, कार्यप्रणाली और भूमिका में मिलते जुलते हैं।
- संविधान संसदीय प्रणाली के सिद्धांतों का एक व्यापक और सामान्य दृष्टिकोण अनुच्छेद-163 और अनुच्छेद-164 में प्रदान करता है।

अनुच्छेद 163 - राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद

1. राज्यपाल को अपने कार्यों के प्रयोग में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी। 2. मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की किसी भी तरह से पूछताछ नहीं की जाएगी।

अनुच्छेद 164 (1) - मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। एमपी, सीजी, झारखंड और ओडिशा में जनजातीय मंत्री भी होगा ।

- सरकार की संसदीय प्रणाली की योजना में। संविधान द्वारा प्रदान किया गया। राज्यपाल नाममात्र का कार्यकारी प्राधिकरण है (de Jure कार्यपालिका - कानून के रूप में) और मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यकारी (de facto कार्यकारी - तथ्य के रूप में) है।
- किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य जो दल-बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया है, उसे भी मंत्री के रूप में नियुक्त करने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। (91वां सीएए, 2003)
- **अनुच्छेद 167 -** मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्यों के राज्यपाल को राज्य के मामलों के प्रशासन से संबंधित मंत्री परिषद के सभी निर्णयों और कानून के प्रस्ताव से अवगत कराए।

राज्य विधायिका

- **अनुच्छेद 168 - राज्य विधानमंडल:**

प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जिसमें राज्यपाल और विधान सभा शामिल होंगे, कुछ राज्यों को छोड़कर जिनमे दो सदन विधान सभा और विधान परिषद हैं। {द्विसदनीय विधायिका - 6 राज्य}

(1) बिहार 2) उत्तर प्रदेश 3) महाराष्ट्र 4) कर्नाटक 5) आंध्र प्रदेश 6) तेलंगाना)

[पहले जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए एक विधान परिषद थी]

नोट: (i) 7वां सीएए, 1956 मप्र में विधान परिषद के लिए उपबंध किया गया। हालाँकि, इस आशय की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा की जानी है। अभी तक ऐसी कोई अधिसूचना नहीं की गई है। इसलिए, मप्र में एक सदनीय विधायिका ही रहेगी ।

(ii) आंध्र प्रदेश ने 1957 में विधान परिषद बनाई और 1985 में इसे समाप्त कर दिया। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद को 2007 में फिर से पुनर्जीवित किया गया।

(ii) तमिलनाडु की विधान परिषद को 1986 में समाप्त कर दिया गया और 1969 में पंजाब और पश्चिम बंगाल विधान परिषद को में समाप्त कर दिया गया ।

अनुच्छेद 169 - संविधान विधायी परिषद को समाप्त करने या बनाने का प्रावधान करता है, संसद विधि द्वारा कर सकती है । यदि उस उद्देश्य के लिए प्रस्ताव पर राज्य की विधान सभा को विशेष बहुमत (से एक प्रस्ताव पारित कर सहमति है।
नोट: संसद के इस अधिनियम को अनुच्छेद-368 के उद्देश्य से संविधान में संशोधन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह साधारण बहुमत से पारित किया गया है।

- **अनुच्छेद 170 -** प्रत्येक राज्य की विधान सभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं होंगे और 60 से कम सदस्य चुनाव द्वारा चुने जाएंगे।

अपवाद:

State	Minimum	Current Status
Arunachal Pradesh	30	60
Mizoram	40	40
Sikkim	30	32
Goa	30	40
Puducherry	30	33

- **अनुच्छेद 170 (2) -** विधानसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में इस तरह विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसे आवंटित सीटों की संख्या के बीच का अनुपात पूरे राज्य में समान हो।

- **अनुच्छेद 170 (3) -** जनगणना के पूरा होने पर प्रत्येक राज्य में विधान सभा की कुल सीटों की संख्या और प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन **परिसीमन आयोग** द्वारा किया जाएगा।

- **अनुच्छेद 332 -** राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण।

- **अनुच्छेद 172 (1) -** प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान सभा अपनी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी और इसे 5 साल से पहले भंग किया जा सकता है । संसद के एक कानून द्वारा एक बार के लिए 1 वर्ष के लिए विधानसभा का कार्यकाल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

- **अनुच्छेद 171 –** विधान परिषद या विधान परिषद की संरचना
- विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।
- परिषद की अधिकतम संख्या विधान सभा की कुल संख्या के 1/3 पर तय की गई है और न्यूनतम शक्ति 40 पर तय की गई है।
- इसका मतलब है कि परिषद का आकार विधानसभा के आकार पर निर्भर करता है। संबंधित राज्य।
- **चुनाव का तरीका (अनुच्छेद -171)**

1) 1/3 सदस्यों का चुनाव नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों के सदस्यों और राज्य में ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के मतदाताओं द्वारा किया जाएगा, जैसा कि संसद ने कानून बनाया है।

2) 1/3 सदस्य राज्य की विधान सभा के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचकों द्वारा उन व्यक्तियों में से चुने जाएंगे जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं।

3) 1/12 सदस्यों का चुनाव ऐसे व्यक्तियों से मिलकर होने वाले मतदाताओं द्वारा किया जाएगा जो कम से कम 3 वर्षों से राज्य के ऐसे शिक्षण संस्थानों में शिक्षण में लगे हुए हैं जो एक माध्यमिक विद्यालय की तुलना में मानक से कम नहीं है और जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है संसद द्वारा बनाए गए या किसी अन्य कानून द्वारा।

4) 1/12 सदस्यों का चुनाव राज्य के भीतर रहने वाले 3 साल के स्नातकों द्वारा किया जाएगा।

5)**अनुच्छेद-171(5)-** 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा एवं सहकारी आन्दोलन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत किये जाते हैं।

नोट: विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।

याद रखने वाली बात: राज्य विधानमंडल का एक सदस्य विधान परिषद के अध्यक्ष या विधान सभा के अध्यक्ष को अपनी सीट से इस्तीफा दे सकता है। इस्तीफा स्वीकार होने पर सीट खाली हो जाती है। - हालांकि, अध्यक्ष या अध्यक्ष इस्तीफा स्वीकार नहीं करते हैं यदि वे संतुष्ट हैं कि यह स्वैच्छिक या वास्तविक नहीं है।

राज्यों में विधायी प्रक्रिया

- विधान परिषद को विधानसभा के समान विधायी शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं।
- यह द्वितीयक कक्ष है।
- यह किसी भी बिल (साधारण/धन/वित्त बिल) को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकता
- मनी बिल विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता है। पालन की जाने वाली प्रक्रिया संसद के समान है।
- विधान परिषद में एक वित्त विधेयक भी पेश नहीं किया जा सकता है।
- साधारण विधेयक दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है। यदि इसे विधान परिषद में पेश किया जाता है और पारित होने के बाद इसे विधान सभा में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

यदि बिल विधान सभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो यह समाप्त हो जाता है।

- यदि कोई वित्त विधेयक या साधारण बिल विधान सभा में पेश किया जाता है और पारित किया जाता है तो इसे विधान परिषद को प्रेषित किया जाता है जिसमें निम्नलिखित विकल्प होते हैं –

(i) बिल पास करें ।

(ii) बिल को अस्वीकार करें।

(iii) तीन माह तक कोई कार्रवाई नहीं करें।

(उपर्युक्त दो मामलों में, बिल में जाता है और यदि यह दूसरी बार बिल पास करता विधान सभा है तो इसे उच्च सदन में वापस भेज दिया जाता है और दूसरी बार प्राप्त होने के एक महीने की समाप्ति पर बिल को दोनों द्वारा पारित माना जाता है।)

(iv) यदि विधान सभा बिल में संशोधन का सुझाव देता है तो बिल विधान सभा को वापस भेज दिया जाता है। यदि विधान सभा संशोधन को स्वीकार करता है तो विधेयक को संशोधनों के साथ पारित माना जाता है। यदि विधान सभा संशोधन को अस्वीकार करता है और दूसरी बार विधेयक को पारित करता है तो विधेयक को बिना संशोधन के दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है।

• इस प्रकार विधान परिषद अपनी विधायी शक्तियों के आधार पर विधान सभा द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकता है।

• यह केवल 3+1 = 4 महीने की अवधि के लिए विधान सभा द्वारा पारित बिल के पारित होने में देरी कर सकता है।

• विधान परिषद की प्रासंगिकता यह है कि यह एक पुनरीक्षण गृह के रूप में कार्य करता है और जल्दबाजी में बने कानूनों को रोकता है।

• नामांकन सुविधा के कारण, यह प्रशासन में प्रतिभा और विशेषज्ञता की भर्ती में मदद करता है

गतिरोध तोड़ने के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं।

संयुक्त बैठक बजट सत्र की शुरुआत में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान और एसएलए के आम चुनाव के बाद पहले सत्र में ही संभव है।

उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायपालिका

ब्रिटिश भारत में उच्च न्यायालय, भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 द्वारा बनाए गए थे। इस प्रकार 1862 में तीन उच्च न्यायालय अस्तित्व में आए।

1) कोलकाता उच्च न्यायालय - यह 2 जुलाई 1862 को सबसे पुराना उच्च न्यायालय था।

2) मुंबई उच्च न्यायालय - 14 अगस्त 1862।

3) मद्रास उच्च न्यायालय - 15 अगस्त 1862।

संविधान के भाग-VI में अनुच्छेद 214-231 उच्च न्यायालय से संबंधित है।

संविधान प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय प्रदान करता है लेकिन 7वां सीएए, 1956 संसद को दो या दो से अधिक राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एक संयु क्तउच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है।

❖ **अनुच्छेद-214 -** प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा लेकिन अनुच्छेद-231 के तहत दो या दो से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित किया जा सकता है। । नोट: न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में उच्च न्यायालयों में कोई एकरूपता नहीं है। राष्ट्रपति समय-समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करता है।

❖ **अनुच्छेद 217 -** उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है

❖ **योग्यताएं** 1. व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. वह 10 वर्षों के लिए भारत के क्षेत्र में न्यायिक कार्यालय में रहा हो। या उसे 10 साल के लिए एचसी में एक वकील रहा हो।

□ **अनुच्छेद 219 –** शपथ - राज्यपाल द्वारा

□ **कार्यकाल -** संविधान ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया है। लेकिन वह 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं।

(15वें सीएए 1963 द्वारा आयु को 60 वर्ष से बढ़ा दिया गया है)

 वह राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है।

 वह उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने पर लागू होती है। [अनुच्छेद 124(4)]।

- **अनुच्छेद-220** के तहत वकालत पर प्रतिबंध कोई भी न्यायाधीश जिसने उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में काम किया है, वह अपनी सेवानिवृत्ति के बाद केवल सर्वोच्च न्यायालय या उन उच्च न्यायालयों में वकालत कर सकता है जहां उसने न्यायाधीश के रूप में सेवा नहीं की है। और वह अन्य अदालतों या न्यायाधिकरणों में वकालत नहीं कर सकता है।

 मूल क्षेत्राधिकार - वे मामले जो सीधे उच्च न्यायालय में दायर किए जा सकते हैं। अनन्य और प्रथम उदाहरण क्षेत्राधिकार - 1) एडमिरल्टी - प्रादेशिक जल से संबंधित मुद्दे (तट से 12 समुद्री मील)

 2) प्रोबेट, विवाह - वसीयत, विवाह, तलाक आदि।

 3) चुनाव याचिका - सांसद व विधायक के चुनाव से संबंधित विवाद

न्यायालय की अवमानना – (अनुच्छेद 215)

- **रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 226):**

मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार दोनों मामलों तक विस्तृत है । विवेकाधीन अधिकार है, अनिवार्य नहीं। SC और HC दोनों का समवर्ती क्षेत्राधिकार।

- **अपीलीय क्षेत्राधिकार -** यह सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में अधीनस्थ न्यायालयों के फैसले के खिलाफ अपील की सुनवाई करता है।
- **पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 227)** - एचसी सभी अधीनस्थ अदालतों की निगरानी करता है। हालांकि यह शक्ति असीमित नहीं है। यह एक असाधारण शक्ति है इसलिए बहुत सावधानी से प्रयोग किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय

भारत के प्रत्येक राज्य को जिला अदालत के अधिकार क्षेत्र के तहत न्यायिक प्रशासन के लिए जिलों में विभाजित किया गया है।

जिला जज और अन्य निचली अदालतों को अधीनस्थ अदालतें कहा जाता है और अधीनस्थ अदालतों की संगठनात्मक संरचनाओं को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है –
(i) सिविल कोर्ट।
(ii) आपराधिक न्यायालय
(iii) राजस्व न्यायालय।

RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams

• **अनुच्छेद 233 -** अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है।

 योग्यताएं: सीधे प्रवेश के लिए वकील के रूप में कम से कम 7 साल का अभ्यास आवश्यक है। सेवानिवृत्ति की आयु - 60 वर्ष

 निष्कासन: एक जिला न्यायाधीश संबंधित जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। एचसी कॉलेजियम की पुष्टि पर राज्यपाल द्वारा उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है।

केंद्र शासित प्रदेश

भाग-VIII (अनुच्छेद 239-243) संघ राज्य क्षेत्र और उनके प्रशासक

राज्य संघीय प्रणाली के सदस्य हैं और प्रणाली के साथ शक्ति का वितरण साझा करते हैं। दूसरी ओर, केंद्र शासित प्रदेश वे क्षेत्र हैं जो केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण और प्रशासन के अधीन हैं। इसलिए, उन्हें केंद्रीय प्रशासित क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है।

कुछ कारणों से संघ शासित प्रदेश बनाए गए हैं -

1. राजनीतिक और प्रशासनिक विचार - दिल्ली और चंडीगढ़।

2. सांस्कृतिक विशिष्टता - दमन और दीव, पुडुचेरी, दादर और नगर हवेली।

3. सामरिक महत्व- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप।

 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण

1874 में, अंग्रेजों ने एक अनुसूचित जिले के रूप में कुछ क्षेत्रों का गठन किया बाद में उन्हें मुख्य आयुक्त क्षेत्रों के रूप में जाना जाने लगा।

-आजादी के बाद इन्हें मुख्यतः पार्ट-सी और पार्ट-डी की श्रेणी में रखा गया।

- 1956 में उन्हें 7वें सीएए 1956 द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था।

- धीरे-धीरे इनमें से कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। आज जो राज्य हैं वे पहले केंद्र शासित प्रदेश थे। दूसरी ओर पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों से अधिग्रहित प्रदेशों को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था।

केंद्रशासित प्रदेशों का प्रशासन (अनुच्छेद 239-241)

अनुच्छेद 239-241, संविधान के भाग-VIII में संघ शासित प्रदेशों से संबंधित है। विधान परिषद और विधान सभा का प्रावधान मूल संविधान में नहीं था।

अनुच्छेद 239 - इसने संसद को कानून द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए कोई प्रावधान करने का अधिकार दिया। इसलिए, 14वें सीएए 1962 द्वारा संविधान में अनुच्छेद-239 (ए) डाला गया, जिसने कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय विधान बनाया। इस प्रकार पुडुचेरी (1963) और दिल्ली (1992) में विधान सभा का गठन किया गया।

- प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का संचालन राष्ट्रपति द्वारा उनके द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से किया जाता है।

- यूटी का एक प्रशासक राष्ट्रपति का एजेंट होता है, लेकिन राज्यपाल जैसे राज्य का प्रमुख नहीं। उन्हें आमतौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है।

- राष्ट्रपति पड़ोसी राज्यों के राज्यपाल को भी यूटी का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। इस प्रकार नियुक्त राज्यपाल राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह से स्वतंत्र रूप से प्रशासक के कार्यों का निर्वहन करेगा।

- केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी और दिल्ली को विधान सभा और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद प्रदान की जाती है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसी संस्थाओं की स्थापना से उन पर राष्ट्रपति और संसद का सर्वोच्च नियंत्रण कम नहीं हो जाता है।

- केंद्रशासित प्रदेशों के लिए संसद तीन सूचियों में से किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। संसद की इस शक्ति का विस्तार पुडुचेरी और दिल्ली तक भी है। फिर भी उनका अपना विधानमंडल है।

- पुडुचेरी की विधान सभा भी राज्य सूची और समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। यह दिल्ली विधानसभा पर भी लागू होता है, लेकिन वहां, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, भूमि और इन 3 क्षेत्रों से संबंधित मामलों के संबंध में विधायी और कार्यकारी शक्तियां दिल्ली के उपराज्यपाल के माध्यम से संघ द्वारा संभाली जाती हैं।

- अनुच्छेद 239 (बी) - विधानसभा के अवकाश के दौरान उपराज्यपाल का प्रशासक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से अध्यादेश जारी कर सकता है। इस तरह के हर अध्यादेश को विधानसभा द्वारा पुन: विधानसभा से 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। वह किसी भी समय अध्यादेश को वापस भी ले सकता है।

नोट: संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासक विधानसभा भंग या निलंबित होने पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं।

69वें सीएए, 1991 (1992 में लागू) ने दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का विशेष दर्जा प्रदान किया और इसे दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में फिर से नामित किया और दिल्ली के प्रशासक को लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नामित किया। - इसने एक विधान सभा और दिल्ली के लिए एक मंत्री परिषद बनाई। पहले, दिल्ली में एक कार्यकारी परिषद के रूप में महानगरीय परिषद थी।

- विधानसभा की संख्या 70 सदस्यों पर तय की गई है और मंत्रिपरिषद की ताकत 10% यानी 7 तय की गई है।

- मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है और मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।

- मंत्रिपरिषद दिल्ली की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।

- उपराज्यपाल और उनके मंत्रियों के बीच मतभेद के मामले में उपराज्यपाल निर्णय के लिए मामले को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और तदनुसार कार्य करते हैं।

-संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति अपने क्षेत्र में लागू कर सकता है यह लेफ्टिनेंट गवर्नर की रिपोर्ट पर या अन्यथा किया जा सकता है। यह प्रावधान अनुच्छेद-356 से मिलता-जुलता है, जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है।

- संसद केंद्रशासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है या आसन्न राज्यों के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रख सकती है।

नोट: दिल्ली और कश्मीर केवल केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय है।

आपातकाल

(भाग XVIII)

भारतीय संघ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक आपातकालीन शक्तियाँ हैं जो संघीय सरकार को प्रदान की गई हैं। एक संघीय सरकार, शक्तियों के विभाजन के कारण सरकार का कमजोर रूप माना जाता है। इसलिए, एक आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए संवैधानिक निर्माताओं ने केंद्रीय कार्यकारिणी को विशाल

आपातकालीन शक्तियां प्रदान की हैं। ये जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं। संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है:-

a) राष्ट्रीय आपातकाल - अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय स्तर की प्रकृति में आपातकाल की उद्घोषणा का प्रावधान करता है।

b) राज्य में आपातकाल U/अनुच्छेद 356 जिसे आमतौर पर राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है।

c) अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल प्रदान किया गया।

राष्ट्रीय आपातकाल

- अनुच्छेद 352 के तहत यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है कि एक गंभीर आपात स्थिति मौजूद है जिससे भारतीय या भारत के किसी भी हिस्से की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा है तो वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है।

42वें संशोधन 1976 के बाद, यदि **मंत्रिपरिषद** लिखित रूप से राष्ट्रपति को सलाह देता है, तो पूरे भारत या उसके एक हिस्से के लिए एक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है।

38वें सीएए 1975 के बाद राष्ट्रपति को अलग-अलग आधारों पर आपातकाल की अलग-अलग उद्घोषणा जारी करने का अधिकार है, यानी युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या तीनों के प्रमुख खतरे के आधार पर घोषित आपातकाल, चाहे उद्घोषणा पहले से जारी हो या नहीं राष्ट्रपति द्वारा।

राष्ट्रपति को लागू आपातकाल **को हटाने की शक्ति प्राप्त है।**

किसी राष्ट्रीय आपातकाल को रद्द करने की उद्घोषणा को छोड़कर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष अनुमोदन के लिए रखी जाएगी। इसकी घोषणा के बाद इसे 30 दिनों की समाप्ति से पहले दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। यदि इसे संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो यह अनुमोदन के दिन से 6 महीने से अधिक समय तक लागू नहीं रहेगा। अनुमोदन उपस्थित और मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत और सदन की कुल संख्या के बहुमत से पारित प्रस्ताव के रूप में होगा। संसद आपातकाल को कितनी भी बार मंजूरी दे सकती है, लेकिन हर बार 6 महीने के लिए। यह लोकसभा 30 दिनों की अवधि के भीतर भंग हो जाती है तो एक महीने के भीतर राज्य सभा द्वारा आपातकाल को मंजूरी दी जाएगी और इसे लोकसभा गठन के 1 महीने के भीतर लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

इसके अलावा लोकसभा साधारण बहुमत से विशेष सत्र द्वारा आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार कर सकती है। लोकसभा इस तरह का प्रस्ताव पारित करती है तो राष्ट्रपति **मंत्रिपरिषद** की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रीय आपातकाल को हटा सकते हैं।

आपातकालीन संशोधनों के दुरुपयोग के खिलाफ 44 सीएए द्वारा शुरू किए गए सुरक्षा उपाय

(1) मूल संविधान के तहत आपातकाल की उद्घोषणा के आधार युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति थे। आंतरिक अशांति एक अस्पष्ट शब्द है, यहां तक कि लोगों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन की व्याख्या आंतरिक गड़बड़ी के रूप में की जा सकती है। इसलिए इसे

सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया है। विद्रोह की कानूनी परिभाषा एक गैर-लोकतांत्रिक माध्यम से कानूनी रूप से निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंकने का एक संगठित प्रयास है, ऐसे विद्रोह को सशस्त्र होना चाहिए।

(2) पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मौखिक सलाह पर भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता था जबकि अब वह **मंत्रिपरिषद** की लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है।

(3) पहले जब संसद राष्ट्रीय आपातकाल को मंजूरी देती है, तो इसे राष्ट्रपति द्वारा इसे रद्द करने तक अनिश्चित समय अवधि के लिए लागू किया जा सकता था, जबकि अब यह संसद द्वारा अनुमोदित होने पर 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं होगा। पहले संसद की मंजूरी साधारण बहुमत से मिलनी होती थी जबकि अब इसे विशेष मंजूरी मिलनी होती है।

(4) पहले जब आपातकाल लागू होता था कार्यपालिका पर कोई संसदीय नियंत्रण नहीं था, जबकि अब एक विशेष सत्र बुलाया जा सकता है यदि लोकसभा के कम से कम 1/10 सदस्यों स्पीकर को लिखित रूप में सूचना देते हैं, यदि लोकसभा पहले से ही नियमित सत्र में है। यदि लोकसभा सत्र में नहीं है तो आपातकाल की अस्वीकृति के लिए एक संकल्प को राष्ट्रपति को सूचित किया जा सकता है ।

इस तरह के आपातकालीन सत्र को वोट देने के 14 दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा। इस तरह की अस्वीकृति लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से की जाती है।

(5) 44 वें सीएए से पहले अनुच्छेद 358 के तहत, अनुच्छेद 19 में दिए गए अधिकारों को स्वचालित रूप से निलंबित कर दिया जाता था, चाहे आपातकाल आंतरिक कारण से हो या बाह्य, जबकि अब स्तिथि में केवल बाह्य आपातकालीन अनुच्छेद 19 को स्वचालित रूप से निलंबित किया जाता है।

(6) अनुच्छेद 359 के तहत, मूल रूप से एक या अधिक अधिकारों के प्रवर्तन को राष्ट्रपति द्वारा एक अलग उद्घोषणा द्वारा निलंबित किया जा सकता था, लेकिन वर्तमान में अनुच्छेद 20 और 21 के तहत दिए गए अधिकारों को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता है।

राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव

(1) यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण स्वतः ही निलंबित हो जाता है और एक पूर्ण एकात्मक राज्य का उदय होता है। राज्य **मंत्रिपरिषद** को बर्खास्त नहीं किया जाता है लेकिन यह संघ के प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है।
सामान्य समय में केंद्र केवल कुछ निर्दिष्ट विषयों जैसे संचार और रेलवे संपत्ति के रखरखाव पर राज्य को प्रशासनिक निर्देश जारी कर सकता है। जबकि यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो केंद्र किसी भी विषय के रूप में प्रशासनिक निर्देश जारी करने के लिए स्वतंत्र है और वे राज्य के लिए बाध्यकारी हैं।

2) राज्य विधान सभा को निलंबित नहीं किया जाता है, यह कार्य करना जारी रखता है लेकिन शक्तियों के वितरण के निलंबन के कारण संसद समवर्ती विधायी अधिकार क्षेत्र को राज्य सूची के तहत प्राप्त कर लेती है। संसद कानून द्वारा संसद और विधान सभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं की अवधि के लिए 5 वर्ष से अधिक बढ़ा सकती है। संसद कितनी भी बार कार्यकाल बढ़ा सकती है लेकिन हर बार 1 वर्ष के लिए। हालाँकि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होने के बाद विधानसभा /संसद का कार्यकाल 6 महीने से अधिक नहीं होगा।

3) केंद्र को राज्यों के साथ वित्तीय संसाधनों के वितरण को निलंबित करने का अधिकार है। आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए सभी वित्तीय संसाधनों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

4) अनुच्छेद 358 और 359 के तहत अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति का अनुसमर्थन न्यायिक समीक्षा के अधीन है और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा शक्ति के दुर्भावनापूर्ण उपयोग के आधार पर अदालत में चुनौती दी जा सकती है।

राष्ट्रपति शासन

अनुच्छेद 356 - राष्ट्रपति राज्यपाल या अन्य संसाधनों से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर और संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी स्थिति आ गई है जिसमें संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सरकार पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है, फिर आपातकाल की घोषणा के द्वारा वह राज्य **मंत्रिपरिषद** की शक्ति ग्रहण कर सकता है ।

वह राज्य के SLA को निलंबित/भंग भी कर सकता है।

वह यह भी घोषित कर सकता है कि राज्य की विधायिका की शक्ति संसद द्वारा प्रयोग करने योग्य होगी।

अनुच्छेद 356 के तहत घोषित आपातकाल 2 महीने की समाप्ति पर लागू नहीं रहेगा यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 महीने से पहले अनुमोदित किया जाता है। एक बार अनुमोदित होने के बाद यह अनुमोदन की तिथि से 6 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

एक बार अनुमोदित होने के बाद यह अनुमोदन की तिथि से 6 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

इसे सामान्य परिस्थितियों में 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

यदि इसे 1 वर्ष से अधिक बढ़ाया जाना है तो दो शर्तों को पूरा करना होगा-

a) पूरे भारत में या भारत के किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाएगा।

b) भारत का चुनाव आयोग यह प्रमाणित करेगा कि राज्य की मौजूदा स्थिति के तहत SLA के लिए आम चुनाव नहीं हो सकता है।

ऐसी स्थिति में संसद आपातकाल को 2 वर्ष और हर बार 6 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ा सकती है। अनुमोदन साधारण बहुमत से होता है। यदि लोकसभा भंग हो जाती है तो राष्ट्रपति शासन को राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और एक महीने के भीतर लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of RACE)

अनुच्छेद 356 के उपयोग के खिलाफ सुरक्षा

(1) 42वें सीएए में प्रावधान था कि संसद द्वारा दी गई मंजूरी राष्ट्रपति शासन की घोषणा की तारीख से एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वैध नहीं होनी थी, लेकिन 44वें सीएए ने इसे घटाकर 6 महीने कर दिया।

(2) मूल संविधान में इसे 3 साल की अधिकतम अवधि के लिए विस्तारित करने का प्रावधान था, जब भी संसद ने इसे 6 महीने की अवधि के लिए अनुमोदित किया था, लेकिन 44 वें सीएए ने 2 शर्तें पेश कीं, यदि राष्ट्रपति शासन एक वर्ष की अवधि परे जाता है।

राष्ट्रपति शासन का प्रभाव

(1) राज्य मंत्रिपरिषद को आवश्यक रूप से बर्खास्त कर दिया जाता है और राज्य COM का कार्यकारी कार्य केंद्र द्वारा ले लिया जाता है।

2) कानून बनाने पर - SLA को या तो भंग कर दिया जाता है या निलंबित कर दिया जाता है। राज्य विधानमंडल क्रियाशील नहीं है और संसद राज्य विषय पर कानून बना सकती है।

एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ 1994

इस ऐतिहासिक फैसले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए केंद्र पर कुछ प्रतिबंध लगाए।

· इसने कहा कि किसी राज्य की सरकार को बर्खास्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति असाधारण एवं सम्पूर्ण नहीं है।

· इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को इस शक्ति का उपयोग तभी करना चाहिए जब उसकी उद्घोषणा (राष्ट्रपति शासन लगाने की) को संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

तब तक, राष्ट्रपति विधान सभा को केवल निलंबित कर सकते हैं।

· यदि उद्घोषणा को दोनों सदनों का अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है, तो यह दो महीने की अवधि के अंत में समाप्त हो जाती है, और बर्खास्त सरकार को पुनर्जीवित किया जाता है।

· निलंबित विधान सभा भी पुनः सक्रिय हो जाती है।

· सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 356 को लागू करने की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

· राष्ट्रपति शासन अंतिम उपाय होगा; इसे लगाने से पहले बहुमत परीक्षण (फ्लोर टेस्ट) कराया जाए।

• इसे केवल संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में लगाया जा सकता है न कि प्रशासनिक तंत्र की विफलता के मामले में

वित्तीय आपातकाल:

यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या विश्वसनीयता को खतरा है, तो वह देश पर वित्तीय आपातकाल लगाने की उद्घोषणा जारी कर सकता है। इसे घोषणा की तारीख से 2 महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। एक बार संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद यह राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने तक अनिश्चित काल के लिए लागू रहेगा।

केंद्र के कार्यकारी अधिकार का विस्तार होगा। इसके अलावा संघ राज्य को सिविल सेवकों या संवैधानिक मर्यादाओं के वेतन/भत्तों को कम करने का निर्देश दे सकता है। राष्ट्रपति एसएलए द्वारा पारित सभी धन/वित्तीय विधेयक को सुरक्षित रखने के लिए राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं।

RAO'S ACADEMY for Competitive Exams (A unit of RACE)